राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2022-23

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.फ़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	न्यास		
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012		
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)		
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न है)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	**वित्तीय वर्ष**	**लोकसभा**	**राज्यसभा**
		2019-20	10.02.2021	12.02.2021
		2020-21	09.02.2022	11.02.2022
		2021-22	21.12.2022	23.12.2022
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट	1 - 33
2	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	34 - 38
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रमाणित वार्षिक खाते	39 - 51

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2022-23)

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

15 सितंबर 2011 को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 27 सितंबर, 2012 को ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड निगमित किया गया था।

भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने तथा देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित करने का अनुमोदन प्रदान किया। एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल संरचना के गठन को भी अनुमोदन दिया हैः

i. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
ii. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
iii. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
iv. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सदस्य;
v. सचिव, पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग सदस्य;
vi. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
vii. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
viii. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी की भूमिका, उत्तरदायित्व तथा कार्य निम्नानुसार हैं:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एक सक्षम संस्थानिक, वित्तपोषण और क्रियाशील ढांचा स्थापित करना;

ख) नए औद्योगिक गलियारों, नोडों, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट और स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करना और एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों को अधिकृत करना और वित्तीय अधिकारों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति;

घ) नॉलिज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोजन योजनाओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को सहारा देना और उद्योगों के लिए प्रमुख निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ) आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी एकत्र करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/अन्य स्टेक होल्डरों के साथ संयुक्त उद्यम में गठित एसपीवी को इक्विटी/ऋण उपलब्ध कराना;

च) पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित तौर-तरीकों को प्रभावी रूप देने के लिए, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार, राज्य सरकारों/परियोजना विशेष एसपीवी/सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ अनुबंध करना;

छ) विशेष रूप से पहचाने गए अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाएगी तथा उनके द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

ज) एनआईसीडीआईटी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को रखेगा और खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

1.2 <u>एनआईसीडीआईटी का संस्थानिक ढांचा</u>

क) एनआईसीडीआईटी का निदेशक मंडल प्रत्येक एसपीवी की अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि

अधिग्रहण और कार्य के वास्तविक निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, निधियों की मात्रा, नियम एवं शर्तें और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान से संवितरण अनुसूची को अनुमोदित और स्वीकृति देगा। इसी प्रकार परियोजना विकास के लिए नॉलेज पार्टनर(रों) को कार्य की प्रगति के अनुसार चरणों में अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ख) एनआईसीडीआईटी वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगी और औद्योगिक कोरिडोर के विकास को सक्षम बनाने हेतु यथोचित अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात कर-मुक्त बांड, कैपिटल गेन बांड, साख संवर्धन, आदि जारी करेगी।

ग) एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के अंशदान का परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग करेगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में किया गया निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से होगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का प्रयोग कर एनआईसीडीसी द्वारा अभी तक विकसित एसपीवी सहित एसपीवी के सभी ऋण भुगतान और एसपीवी से इक्विटी विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त धन को परिक्रामी निधि में पुनः लगाया जाए, जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक कोरिडोर विकसित करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकारों से उपयुक्त गारंटियों द्वारा साख संवर्धन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण जुटा सकते हैं, ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए व्यवहार्य हो। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी को नवप्रवर्तन अवसंरचना निधियन शामिल करने और यूजर फी फंडिंग, मूल्य नवप्रवर्तन और विभिन्न पीपीपी व्यवस्था जैसे भुगतान साधनों की आवश्यकता होगी। राज्यसरकार/एसपीवी द्वारा ऋण अथवा अन्य संसाधनों के रूप में एकत्र की गई निधि को भी राज्य की ओर से अंशदान माना जाएगा।

घ) पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना प्रोजेक्ट के अनुसार उनके कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। डीपीआईआईटी के सचिव और एनआईसीडीआईटी के सदस्य सचिव, इंडस्ट्रियल कोरिडोर परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/डेवलपमेंट प्लान के अनुसार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में

वीजीएफ के लिए सभी प्रस्तावों को एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाएगा।

ङ) प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिटी/नोड को भारत सरकार से औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जो भौगोलिक स्थान, आकार, राज्य के योगदान और विकासात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकतम 3000 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो सकती है, जो भूमि की लागत और अवसंरचना विकास तथा भूमि अधिप्राप्ति/लैंड पूलिंग के लिए धन जुटाने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाए गए धन के रूप में होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए कुल आवश्यकता बहुत अधिक हो सकती है और यह शहर दर शहर भिन्न होगी और भारत सरकार से मांगी जा रही उपरोक्त उल्लिखित धनराशि इन शहरों/नोडों में विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। बाद में, धनराशि आंतरिक मुद्रीकरण, आदि द्वारा जुटाई जाएगी।

1.3 <u>शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

एनआईसीडीआईटी को प्रस्तुत सभी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों का वह स्वयं मूल्यांकन करेगी। एनआईसीडीआईटी बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपए तक की मूल्यांकित परियोजनाओं को अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 500 करोड़ तक की मूल्यांकित परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक सभी प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों से संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, सीसीईए ने 30.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, भूमि की उपलब्धता और वास्तविक तैयारियों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के चरण बदलने के लिए एनआईसीडीआईटी को अधिकार प्रदान किए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान न्यासी मंडल ने 08 जून, 2022 और14 दिसंबर, 2022 को बैठक आयोजित की।

1.4 इंडस्ट्रियल कोरिडोर/नोड का नियोजन और उनकी अपनाई गई संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल कोरिडोर/नोड्स सतत दृष्टिकोण को अपनाते है जो खुले हरित क्षेत्रों, पब्लिक ट्रांजिट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को विनियोजित करके, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक ऊर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण को ईष्टतमी करना और उसका पुन:चक्रण करना, ठोस अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित और पुन:चक्रित करने सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने के लिए आधारभूत कार्य करते हैं। ट्रंक अवसंरचना, जो सभी नोड्स में अपनाई जाती है, की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:-

क) सभी सुविधाओं को अंडरग्राउंड (भूमिगत) करने की भी योजना है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन क्षेत्र से भी बाहर है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य परिवहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टेशनों को पैदल चल कर पहुंचने वाली 400 मीटरदूरी पर बनाया जाएगा। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम छोर संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को कम करने के लिए बसबे/बस स्टॉप के लिए प्रावधान है।

ग) अपशिष्ट जल को एसटीपी एवं सीईटीपी से एकत्रित कर पुन:चक्रित किया जाएगा और इसे गैर-पीने योग्य उद्देश्य से शहर में पुन:वितरित किया जाएगा। किसी भी ओवरफ्लो से बचने और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी उपाय के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) को अपनाया जाएगा। औद्योगिक और रिहायशी लाइनों के लिए पृथक-पृथक सीवर लाइनें होगी।

घ) सिटी लेवल पर वर्षा जल संग्रहित कर जल संरक्षण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धौलेरा में 2500 मिलियन लिटर क्षमता से अधिक वाले 100 मीटर चौड़े चैनल को वर्षा जल संग्रहण, पार्कों और बगीचों की सिंचाई के साथ-साथ गैर-पीने योग्य उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा।

ङ) ग्रीनफील्ड सिटी की संपूर्ण अवसंरचना योजना वास्तविक समय पर सूचना और इसे प्रभावी रूप से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए स्काडा, सेंसरों और ऑटोमेशन के साथ तैयार की गई है। यह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ एवं एजुकेशन, इमरजेंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुलेहरित क्षेत्रों के लिए वर्गीकृत व्यवस्था द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट की पैदल दूरी पर नज़दीकी पार्क;

ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क;

iii. शहर के भीतर स्टोर्म वाटर केनाल के साथ लाइनर पार्क।

छ) सुरक्षितऔरस्थायीमल्टी-मोडलट्रांसपोर्टेशन प्रणाली के लिए योजना तैयार की गई है जो सार्वजनिक परिवहन मोड और गैर-मोटर चालित मोड के साथ एकीकृत है।

ज) सामाजिक अवसंरचना के साथ समूहों में पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रमुख पारगमन क्षेत्रों में नियोजित विद्युत चार्जिंग स्टेशन।

झ) सभी झीलों को बेहतर बनाया जा रहा है और पानी की धारणीयता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना है और रहने वालों के लिए मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

ञ) निवासियों के लिए चलने और प्रदूषण कम करने के लिए चौड़ा फुटपाथ और साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉट और परिसंपत्तियों को दृष्टिगत करने के लिए व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। निवेशकों हेतु सूचना प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन करने और भूमि आबंटन होने तक अपने आवेदन की पहुँच के लिए व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

1.5 <u>व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा</u>

क) वर्तमान में, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोग्राम के रूप में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) का हिस्सा बनने वाले 04 चरणों में विकसित की जाने वाली 32 परियोजनाओं के साथ निम्न 11 इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैः

i. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी);

ii. चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी);

iii. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी);

iv. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीईसी) फेज 1 के रूप में विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी);

v. बेंगलुरु-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी);

vi. कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार;

vii. हैदराबाद-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी);

viii. हैदराबाद-वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी);

ix. हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी);

x. ओडिशा इकनोमिक कोरिडोर (ओईसी) और

xi. दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

चार (4) विभिन्न चरणों में सूचीबद्ध 32 परियोजनाएं क्रियान्वयन/परियोजना विकास के लिए शुरू की गई थी। वे परियोजनाएं जहां संबंधित राज्य सरकार अपने अधिकार में पहले से ही अधिगृहीत भूमि उपलब्ध कराने में सक्षम थी और राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, जहां भू-अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई थी, परियोजना विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण पहलू संबंधित राज्य सरकार(रों) के साथ शेयरहोल्डर एग्रीमेंट और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट का निष्पादन था।

भारत सरकार ने दिसंबर, 2020 में परियोजनाओं की प्रगति, भूमि की उपलब्धता और वास्तविक तैयारी के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की फेजिंग बदलने के लिए एनआईसीडीआईटी को शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया है।

सभी हितधारकों के साथ विस्तृत कार्रवाई के पश्चात 32 परियोजनाओं में निम्न पांच (5) परियोजनाओं को भूखंडों की अनुपलब्धता/पुष्टिकरण/नक्शों के अभाव, संस्थानिक एवं वित्तीय संरचना विसंगति और परियोजना के व्यवहार्य न होने जैसे कारणों से एनआईसीडीआईटी फेजिंग छोड़ दी गई है/छोड़ दी जाएगीः

i. मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, सानंद (500 एकड़) (गुजरात, डीएमआईसी)- छोड़ दिया गया

ii. धर्मपुरी सेलम (1,773 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी विस्तार) - छोड़ दिया गया।

iii. रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क (2,483 एकड़) (पश्चिम बंगाल, एकेआईसी) - छोड़ दिया गया।

iv. पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया (4,000 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी) - छोड़ दिया गया।

v. फार्मा सिटी नोड (8,000 एकड़)(तेलंगाना, एचडब्ल्यूआईसी) - छोड़ दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एक अन्य परियोजना यथा आईएमसी प्रयागराज (1,140 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी), एक ब्राऊनफील्ड प्रोजेक्ट जो पूर्व में 32 प्रोजेक्टों का हिस्सा नहीं था, इसे भी 28 प्रोजेक्टों की सूची में शामिल किया गया है और परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट यथा आईएमसी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ (बीबीएन), (1162 एकड़) (हिमाचल प्रदेश, एकेआईसी) जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया था लेकिन 32 प्रोजेक्टों की सूची का भाग नहीं था, इसे परियोजना विकास गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था लेकिन भूमि की कमी अथवा संस्थानिक एवं वित्तीय संरचना पर राज्य सरकार द्वारा असहमति और परियोजना अर्थक्षम न होने के कारण विकास संबंधी अन्य कार्रवाइयों के लिए छोड़ दिया जाएगा।

तदनुसार, वर्तमान में परियोजना की तैयारी और संबंधित राज्य सरकारों से भूखंडों की पुष्टि के आधार पर 32 परियोजनाओं की सूची में से 28 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैः

चरण 1 : (पहले से अनुमोदित और क्रियान्वयन के अंतर्गत)	
1.	धोलेरा स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), (संक्रियण क्षेत्र 22.5 वर्ग किमी) (गुजरात डीएमआईसी)
2.	शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए), (कुल 40.2 वर्ग किमी में से 18.55 वर्ग किमी) (महाराष्ट्र, डीएमआईसी)
3.	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप – ग्रेटर नौएडा (आईआईटी-जीएन), (747.5 एकड़) (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी)
4.	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप – विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल), (1,100 एकड़) (मध्य प्रदेश, डीएमआईसी)
5.	इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब – नांगल चौधरी (आईएमएलएच-एनसी) (886 एकड़), (हरियाणा, डीएमआईसी)
चरण 2 : (योजना और क्रियान्वयन के अंतिम चरण में)	
6.	कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल एरिया (2,500 एकड़) (आंध्र प्रदेश, सीबीआईसी)
7.	तुमकुरू इंडस्ट्रियल एरिया (1736 एकड़) (कर्नाटक, सीबीआईसी)
8.	मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब एवं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच एवं एमएमटीएच) (1028 एकड़) (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी)
9	दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (6056 एकड़) (महाराष्ट्र, डीएमआईसी)
10.	खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) (1,002 एकड़) (उत्तराखंड, एकेआईसी)
11.	जहीराबाद चरण 1 (3,909 एकड़) (तेलंगाना, एचएनआईसी)
12.	राजपुरा पटियाला आईएमसी (1098 एकड़) (पंजाब, एकेआईसी)

13.	पालक्काड़ इंडस्ट्रियल एरिया (1710 एकड़) (केरल, सीबीआईसी विस्तार)
चरण 3 (विकासाधीन और 2023-24 तक क्रियान्वयन शुरू होने की संभावना)	
14.	आगरा में आईएमसी (1059 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी)
15.	आईएमसी गया (1,670 एकड़) (बिहार, एकेआईसी)
16.	हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी(1,605 एकड़) (हरियाणा, एकेआईसी)
17.	कुप्पर्थी इंडस्ट्रियल एरिया (2,595 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)
18.	विशाखापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (4,300 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी) 2 चरणों में शुरू किया जाना है
19.	खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रिसयल एरिया (1,378 एकड़) (राजस्थान, डीएमआईसी)
20.	जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, अब मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर (8,121 एकड़) (राजस्थान, डीएमआईसी) चरण ए के साथ 1,578 एकड़
चरण 4 (अवधारणा के अंतर्गत और क्रियान्वयन 2024-25 से शुरू किया जाना है)	
21.	धारवाड़ नोड (6,042 एकड़) (कर्नाटक, बीएमआईसी)
22.	सतारा नोड (12,355 एकड़) (महाराष्ट्र, बीएमआईसी)
23.	आईएमसी बोकारो (झारखंड, एकेआईसी)
24.	आईएमसी प्रयागराज (1,140 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी)
25.	ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी):11,366एकड़ क) पारादीप-केंद्रपाड़ा-धमरा-सुबर्नरेखा ख) गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगनगर
26.	ओरवाकल इंडस्ट्रियल एरिया (4,742 एकड़) (आंध्र प्रदेश, एचबीआईसी)
27.	चित्तूर इंडस्ट्रियल एरिया (8,967 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)
28.	दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी) के अंतर्गत नए नोड

विभिन्न चरणों में परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

<u>चरण-1</u>

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के तहत चरण-1 नोड्स में 04 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरों: शेंद्रा बिडकिन (महाराष्ट्र), धोलेरा (गुजरात), ग्रेटर नोएडा (यूपी) और विक्रम उद्योगपुरी (एमपी) में प्रमुख अवसंरचना ढांचे का कार्य या तो पूरा हो चुका है अथवा पूरा होने वाला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र को सितंबर, 2019 में माननीय

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब में ट्रंक बुनियादी ढांचे के विकास का काम जारी है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

लगभग 1,208 एकड़ के कुल 232 भूखंड 18,303 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली कंपनियों को आवंटित किए गए हैं, उपरोक्त 04 शहरों में ह्योसंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), टाटा केमिकल्स, रिन्यू पावर, कोटाल फिल्म्स (अमेरिकी सहयोग) फ़ूजी सिल्वरटेक (जापानी), जे-वर्ल्ड (दक्षिण कोरिया) और अमूल जैसे निवेशक शामिल हैं। इन 04 शहरों में 26 कंपनियों ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है और 72 कंपनियां निर्माणाधीन हैं। आवंटित भूमि, सुरक्षित निवेश और अनुमानित रोजगार सृजन की नोड-वार स्थिति निम्नानुसार दी गई है:

क्र.सं.	**परियोजना/राज्य**	**आवंटित प्लॉट**	**क्षेत्रफल (एकड़)**	**निवेश (करोड़ रुपए में।**	**सृजित रोजगार**
मार्च, 2023 में आबंटित प्लॉट					
1.	शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया	5	3	12	51
31 मार्च, 2023 तक संचयी आवंटन					
1	धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, गुजरात	4*	244	5275	2600
2	शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र	196	570	5931	9292
3	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप, ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश	8	168	5110	11810
4	इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप, विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश	24	226	1987	6466
सकल जोड़		**232**	**1,208**	**18,303**	**30,168**

(*डीएसआईआर में वेदांता सेमीकंडक्टर को आबंटित 254 एकड़ माप के 2 प्लॉट शामिल नहीं हैं। एलओए अभी जारी होना है)

वर्तमान में, उपरोक्त 4 एसपीवी के पास औद्योगिक उपयोग के लिए 2429 एकड़ विकसित भूमि और मिश्रित उपयोग के लिए 2502 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

चरण- 2

भारत सरकार ने दिसंबर, 2020 में 03 और परियोजनाओं कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक) और ग्रेटर नोएडा (यूपी) में एमएमएलएच और एमएमटीएच को भी मंजूरी दी।

तुमकुरु नोड के संबंध में, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में माननीय प्रधान मंत्री ने परियोजना की आधारशिला रखी है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित 06 औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं को भी एनआईसीआईडीटी द्वारा अनुमोदित किया गया है:

i. खुरपिया फार्म, उत्तराखंड (1,002 एकड़)
ii. राजपुरा-पटियाला, पंजाब (1,098 एकड़)
iii. दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र, (6,056 एकड़)
iv. पलक्कड़ नोड, केरल, (1,710 एकड़)
v. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिसे अब मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर कहा जाता है (1,577 एकड़)
vi. जहीराबाद औद्योगिक नोड, तेलंगाना, (3909 एकड़)

उपरोक्त 6 परियोजनाओं में से क्रम संख्या (i) से (iv) तक की परियोजनाएं भारत सरकार (सीसीईए) के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

क्रम संख्या (v) पर उल्लिखित परियोजना जिसे एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित भी किया गया है और माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से अनुमोदन लिया जा रहा है।

औद्योगिक कोरिडोर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय संरचना पर राज्य सरकार से पुष्टि के बाद क्रम संख्या (vi) पर उल्लिखित परियोजना को भारत सरकार (सीसीईए) के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

चरण- 3 एवं 4

चरण 3 और 4 के तहत परियोजनाएं, परियोजना विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें उपयुक्त भूखडों की पहचान, संस्थागत और वित्तीय ढांचे पर संबंधित राज्य सरकार की सहमति आदि शामिल है।

विभिन्न खंडों में सभी विकासाधीन परियोजनाओं की स्थिति उत्तरवर्ती खंड में प्रस्तुत है।

ख) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एकेआईसी परियोजना के हिस्से के रूप में आईएमसी खुरपिया और आईएमसी राजपुरा पटियाला के लिए शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य समर्थन समझौते (एसएसए) को क्रमशः उत्तराखंड और पंजाब सरकार के साथ निष्पादित किया गया है।

2. परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

2.1 परियोजनाएं जिन्हें एनआईसीडीआईटी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क) धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), गुजरातः

- डीएसआईआर की योजना लगभग 920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है और चरण । सक्रियण क्षेत्र 22.5 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें ट्रंक अवसंरचना ढांचे का काम पूरा होने वाला है;
- भारत सरकार ने सक्रियण क्षेत्र के लिए 2784.83 करोड़ रुपये को पांच पैकेजों में विभाजित किया गया विभिन्न बुनियादी ढांचे के घटकों के लिए निविदा पैकेज को मंजूरी दे दी है;
- राज्य सरकार ने डीआईसीडीएल (एसपीवी) को 48.31 वर्ग किलोमीटर भूमि स्थानांतरित कर दी है और 2784.83 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि जारी की गई हैं;
- एंकर निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स सहित 234 एकड़ के 04 भूखंड आवंटित किए गए हैं;
- हाल ही में, धोलेरा में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले यूनिट स्थापित करने के लिए वेदांता-फॉक्सकॉन को 254 एकड़ भूमि के 2 और भूखंड भी आवंटित किए गए हैं;
- 1,021 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है;

- 1000 मेगावाट के सोलर पार्क के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 300 मेगावाट टाटा सोलर पावर लिमिटेड को दिया गया है;
- एनएचएआई द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा तक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक की बाहरी कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

ख) <u>शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए), महाराष्ट्र</u>

- एसबीआईए का भाग 40.2 वर्ग किमी को कवर करता है;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया हेतु 8.39 वर्ग किमी और बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया हेतु 28.8 वर्ग किमी भूमि सौंपी है। 602.80 करोड़ रुपए और 2397.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रमुख अवसंरचना पैकेज संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं;
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सितंबर, 2019 को परियोजना राष्ट्र को समर्पित की;
- शेंद्रा में, प्रमुख निवेशक के रूप में ह्योसंग (100 एकड़) सहित 430 एकड़ के 193 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। 22 कंपनियों ने अपना वाणिज्यिक परिचालन भी शुरू कर दिया है;
- बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भारत सरकार ने 2427.02 एकड़ के रूप में चरण ए के साथ 3 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 6414.21 करोड़ रुपए मूल्य वाले अवसंरचना पैकेज को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;
- बिडकिन में 140 एकड़ भूमि के 3 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 138 एकड़ भूमि पीरामल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है;
- एसबीआईए में 937 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है।

ग) <u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, ग्रेटर नौएडा, उत्तर प्रदेश</u>

- 747.5 एकड़ भूमि परियोजना के एसपीवी को हस्तांतरित कर दी गई है और 617.20 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी राशि भी जारी की जा चुकी हैं;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 1,097.5 करोड़ रु. की निविदा पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्य पूरे हो चुके हैं;
- अग्रणी निवेशक के रूप में हैयर (122 एकड़) सहित 168 एकड़ के 08 भूखंड आवंटित किए गए हैं;

• 155 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए आसानी से उपलब्ध है।

घ) <u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश</u>

- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1026 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 260.54 करोड़ रुपए के ऋण सहित 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 749.1 करोड़ रुपए के निविदा पैकेज को अनुमोदन दे दिया है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्य पूर्ण हो गए हैं;
- प्रमुख निवेशक के रूप में अमूल सहित 226 एकड़ के 24 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;
- इसके अतिरिक्त, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कुल 360 एकड़ भूमि आवंटित की गई है;
- 63 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है।

ङ) <u>इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच), नांगल चौधरी, हरियाणा</u>

- भारत सरकार ने परियोजना मई, 2018 में अनुमोदित कर दी है;
- परियोजना के लिए जिला महेंद्रगढ़ में लगभग 886 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है;
- परियोजना एसपीवी को 686 एकड़ अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 100 करोड़ रूपए के ऋण सहित 208.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- लगभग 158 एकड़ न्यायाधीन है और मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विचाराधीन है;
- राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किए जा रहे बिजली, पानी एवं सड़क की विभिन्न बाहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए कार्य; निक्षेप शर्तों के आधार पर प्रगति पर है;
- निक्षेप आधार पर परियोजना स्थल तक बाहरी रेल कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यों के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ एमओयू निष्पादित किया गया और निर्माण कार्य प्रगति पर है;
- राज्य सरकार के साथ डीएफसीसीआईएल द्वारा न्यू डाबला स्टेशन से बाहरी रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए 23.688 एकड भूमि अधिग्रहित किए जाने के लिए 20ई अधिसूचना प्रकाशित की गयी;

- इंटरनल रेल साइडिंग कार्यों के लिए ईपीसी निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं;
- ट्रंक अवसंरचना विकास को पीपीपी मोड में क्रियान्वित किया जाना है।

च) <u>कृष्णापट्टनम नोड, आंध्र प्रदेश -</u>

• 11,095 एकड़ के कुल परियोजना क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;

• 2500 एकड़ के चरण 1 क्षेत्र के लिए दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी;

• राज्य सरकार ने 2139.15 एकड़ भूमि एसपीवी को हस्तांतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 533.86 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी राशि जारी की गई हैं;

• एसपीवी ट्रंक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ईपीसी टेंडर (तीसरी कॉल) जारी करने की प्रक्रिया में है।

छ) <u>तुमकुरू नोड, कर्नाटक</u>

• 8,483 एकड़ के कुल परियोजना क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं;

• भारत सरकार द्वारा परियोजना को 1736 एकड़ के चरण 1 संक्रियण क्षेत्र के लिए दिसंबर, 2020 में अनुमोदित किया गया था;

• राज्य सरकार. ने 1668.30 एकड़ भूमि एसपीवी को हस्तांतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 586.74 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी राशि जारी की गई हैं;

• ट्रंक अवसंरचना संबंधी कार्यों के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया है;

• परियोजना की आधारशिला 06 फरवरी, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी।

ज) <u>दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बोराकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)</u>

- दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित की गयी;

- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए अपेक्षित कुल 479 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में से, 369 हेक्टेयर पहले से ही जीएनआईडीए के कब्जे में है और एलएआरआर अधिनियम के माध्यम से जीएनआईडीए द्वारा 83.2 हेक्टेयर भूखंडों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा, रेल अधिनियम के तहत डीएफसीसीआईएल/एनसीआर द्वारा 23 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। 20ए रेल अधिनियम के तहत अर्जित की जाने वाली 7.7533 हेक्टेयर भूमि की अधिसूचना 30.10.2021 को प्रकाशित की गयी;
- 227.48 हेक्टेयर भूमि परियोजना एसपीवी को अंतरित की गई और एनआईसीडीआईटी द्वारा समतुल्य 853.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;
- एमएमएलएच के लिए – बाहरी रेल साइडिंग कनेक्टिविटी के लिए मसौदा डीपीआर तैयार कर ली गई है और सहमति एवं अनुमोदन हेतु डीएफसीसीआईएल के पास भेजी गई है;
- एमएमटीएच के लिए – अद्यतन ईएसपी सहित अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहमति तथा अनुमोदन हेतु उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) और अन्य हितधारकों को प्रस्तुत कर दी गई है।

2.2 <u>प्रोजेक्ट जो एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित है और भारत सरकार के पास विचाराधीन है</u>

क) <u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए), महाराष्ट्र</u>

- राज्य सरकार ने एनआईसीडीआईटी संरचना के अंतर्गत डीपीआईए के विकास हेतु 2450 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- परियोजना को राज्य में मौजूद एसपीवी – महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (एमआईटीएल), पूर्ववर्ती औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (एआईटीएल) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

ख) <u>खुरपिया फार्म, उत्तराखंड</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 8 जून 2022 को अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

ग) <u>राजपुरा-पटियाला, पंजाब</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1098 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 8 जून 2022 को अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

घ) <u>पालक्कड़, केरल</u>

- राज्य सरकार द्वारा 1710.37 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है;
- एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है और पालक्कड़ में आईएमसी के विकास हेतु प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

ङ) <u>मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर (एमआईसी), राजस्थान</u>

- दो चरणों में विकास हेतु 6570 एकड़ क्षेत्रफल के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गाय है;
- राजस्थान राज्य सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच जेपीएमआईए हेतु एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है। 15 मार्च, 2022 को एसपीवी निगमित किया गया है;

- राज्य सरकार ने 8121 एकड़ के संशोधित क्षेत्र के बारे सूचित किया है जिसे 03 चरणों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है;
- 1577 एकड़ क्षेत्रफल वाला चरण ए विकसित किया जा रहा है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे कर लिए गए हैं;
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को अनुमोदित किया गया है;
- भारत सरकार के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

च) <u>जहीराबाद चरण 1 ((3,909 एकड़) (तेलंगाना, एचएनआईसी)</u>

- एनआईसीडीआईटी ने तेलंगाना क्षेत्र में 3909 एकड़ क्षेत्रफल के जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के विकास संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है;
- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मास्टर प्लानिंग संबंधी कार्य पूरे कर लिए हैं।
- परियोजना एनआईसीडीआईटी द्वारा पहले ही अनुमोदित है और सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है;
- एसएचए/एसएसए के मसौदे पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी है।

2.3 <u>प्रोजेक्ट जहां परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैः-</u>

क) <u>आगरा में आईएमसी (1,059 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी)</u>

- राज्य सरकार से परियोजना हेतु 1059 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है;

ख) <u>आईएमसी गया (1,670 एकड़) (बिहार, एकेआईसी)</u>

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1670 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है;
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है;

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

ग) **<u>हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी (1,605 एकड़) (हरियाणा, एकेआईसी)</u>**

- राज्य सरकार ने परियोजना के चरण 1 के लिए 1605 एकड़ भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है;
- राज्य सरकार से परियोजना के लिए भूमि अंतरण कार्य में तेजी लाने और एसएचए/एसएसए को अंतिम रूप देने के लिए एसपीवी को नियोजन एवं विकास संबधी अधिकार प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

घ) **<u>कोप्पार्थी इंडस्ट्रियल एरिया (2,595 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)</u>**

- राज्य सरकार द्वारा भूमि की पुष्टि के आधार पर एनआईसीडीआईटी के तहत 2595 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि की मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां नियुक्त परामर्शदाता द्वारा की गई है।

ङ) **<u>2 चरणों में शुरू किए जाने वाला विशाखापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (4,300 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)</u>**

- परियोजना विकासात्मक गतिविधियां (मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी डिजाइन सहित) राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जा रही है।
- 1,120 एकड़ का चरण-I एडीबी के वित्तपोषण से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं विकसित किया जा रहा है।
- चरण-II में 3,196 एकड़ भूमि को एनआईसीडीआईटी संरचना के भीतर विकसित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है और परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां जारी हैं।

च) **<u>खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया (1,378 एकड़) (राजस्थान, डीएमआईसी)</u>**

- 558 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;

- राजस्थान सरकार और एनआईसीडीआईटी के मध्य केबीएनआईआर के लिए एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है। 15 मार्च, 2022 को एसपीवी भी निगमित किया गया है;
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

छ) <u>धारवाड़ नोड (6,042 एकड़) (कर्नाटक, बीएमआईसी)</u>

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है।
- कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ में इंडस्ट्रियल नोड के विकास हेतु 6042 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है।
- मास्टर प्लान गतिविधियां जारी है।

ज) <u>सतारा नोड (12,355 एकड़) (महाराष्ट्र, बीएमआईसी)</u>

- सतारा नोड (12,355 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित साइट; विकास हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई है। राज्य सरकार को विकास हेतु वैक्लपिक भूखंड का सुझाव देने के लिए कहा गया है।

झ) <u>आईएमसी बोकारो, (झारखंड, एकेआईसी)</u>

- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि न्यू बहरी पर पूर्ववर्ती साइट उपलब्ध नहीं है, इससिए वैकल्पिक साइट की पहचान की जा रही है।
- राज्य सरकार ने इस्पात मंत्रालय से बोकारो इस्पात संयंत्र में आईएमसी के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
- 740 एकड़ भूमि की उपलब्धता और मूल्यांकन संबंधी मामलों पर इस्पात मंत्रालय, बोकारो स्टील प्लांट, एसएआईएल(सेल) और झारखंड राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है।

ञ) <u>आईएमसी प्रयागराज (1,140 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी)</u>

- प्रयागराज पर ब्राऊनफील्ड साइट (1,141 एकड़) के लिए विस्तृत प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट एवं विपणन कार्यनीति हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

ट) <u>ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी): 11,366 एकड़</u>

- ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी), ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ओईसी की परिकल्पना ओडिशा राज्य में की गई है, जो विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक कोरिडोर (वीसीआईसी) से जुड़ता है। ईसीआईसी के भाग के रूप में ओईसी की अवधारणा विकास योजना (सीडीपी); एशियन विकास बैंक (एडीबी) द्वारा तैयार की गई है।
- ओडिशा राज्य सरकार ने एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के एक भाग के रूप में ओईसी को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तदनुसार, ओडिशा आर्थिक कोरिडोर को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव एनआईसीडीआईटी के विचार के लिए रखा गया था और 19 अगस्त 2020 को आयोजित बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी।
- ओईसी के तहत, 11,366 एकड़ क्षेत्र में विकास के लिए दो नोड्स अर्थात गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगनगर (जीबीके) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-धामरा-सुवर्णरेखा (पीकेडीएस) की पहचान की गई है और परियोजना विकास गतिविधियां शुरू हो गई हैं। परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूमि की उपलब्धता पर राज्य सरकार की पुष्टि अपेक्षित है।

ठ) <u>ओरवाकल इंडस्ट्रियल एरिया (4,742 एकड़) (आंध्र प्रदेश, एचबीआईसी)</u>

- आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का एक प्रस्ताव, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर को शामिल करने के संबंध में, एनआईसीडीआईटी के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था और 19 अगस्त 2020 को आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति दी गई थी।
- हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर का प्रभाव क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों तक फैला होगा, जो देश के मध्य भागों को दक्षिणी भागों से जोड़ेगा।

- एचबीआईसी के तहत, प्रारंभिक चरण में विकास के लिए आंध्र में ओर्वाकल नोड की पहचान की गई है और परियोजना विकास की गतिविधियां चल रही हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, 4742 एकड़ को एनआईसीडीआईटी ढांचे के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 2621 एकड़ को चरण 1 सक्रियण क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

ड) <u>चित्तूर इंडस्ट्रियल एरिया (8,967 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)</u>

- राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, 8,967 एकड़ के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं;
- राज्य सरकार से भूमि की पुष्टि अपेक्षित है ताकि परियोजना विकास गतिविधियां शुरू की जा सकें।

ढ) <u>दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अंतर्गत नए नोड (डीएनआईसी)</u>

- प्रस्तावित दिल्ली नागपुर औद्योगिक कोरिडोर की परिकल्पना मौजूदा एनएच 44 नेटवर्क पर की गई है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यों में त्वरित औद्योगिक विकास करने की योजना बनाई गई है।
- समग्र डीएनआईसी क्षेत्र की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। डीएनआईसी के तहत विकास के लिए नए भूखंडों/नोड्स की पहचान; संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से की जा रही है।

3. <u>अन्य स्टैंडएलोन प्रोजेक्टः-</u>

3.1 <u>मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराना, राजस्थानः</u>

- एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) (जिसे पहले डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड- डीएनएसपीसीएल के नाम से जाना जाता था) एक विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसे मार्च-2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एनआईसीडीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

- कंपनी का मुख्य कार्य सौर ऊर्जा उत्पादन, विकास तथा संचय करना है और ऐसी बिजली को प्रसारित करना, वितरित करना और आपूर्ति करना है और नीमराना, राजस्थान में मॉडल सौर संयंत्रों जिसमें एक संयंत्र 5 मेगावाट क्षमता वाला और दूसरा 1 मेगावाट क्षमता वाला है, को प्रोन्नत करने, विकसित करने, शुरू करने, इंजीनियरी निर्माण पूरा करने, स्थापित करने, परिचालित करने, बनाए रखने, संवर्धन करने के साथ साथ उनका आधुनिकीकरण और उन्नयन करना भी है।
- सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की ओर से एनआईसीडीसी लिमिटेड के इक्विटी अंशदान के प्रति एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (एनएनएसपीएल) को 13 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी।
- 05 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार (पीपीए) को एनटीपीसी व विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ 05 जून, 2015 को निष्पादित किया गया था।
- 5 मेगावाट के सौर संयंत्र को 23 जुलाई, 2015 को राज्य ग्रिड से जोड़ा गया है और बाद में इसे 3 सितंबर, 2015 को अधिकृत किया गया। राजस्थान रिन्यूएबल कोरपोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा कमीशिनिंग सर्टिफिकेट जारी किया था। विद्युत खरीद करार (पीपीए) के अनुसार 8.77 रू प्रति किलो वाट की अनुमोदित दर सूची पर राज्य ग्रिड (अर्थात 220केवी आरआरवीपीएनएल जीएसएस नीमराना) को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
- 1 मेगावाट मॉडल सौर ऊर्जा परियोजना की परिकल्पना भारत में पहली स्मार्ट माइक्रो-ग्रिड परियोजना के रूप में की गई है, जो औद्योगिक डीजल जेनरेटर सेटों के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण को दर्शाती है।
- एनईडीओ, जापान, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया था।
- माइक्रो-ग्रिड सौर ऊर्जा आपूर्ति परियोजना को दो वर्षों की निष्पादन अवधि के दौरान 1 मेगावाट की क्षमता के 10 जुलाई 2017 को चालू किया गया था। ऑफ-ग्रिड हाइब्रिड बिजली की आपूर्ति मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को की गई थी और निष्पादन अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पीपीए को 20.02.2020 को पारस्परिक सहमति से बंद कर दिया गया है।
- एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (जिसे पहले डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) और टोयाडा गोसेई मिंडा इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) के बीच 10 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति हेतु 12 फरवरी 2020 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति की। तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए एक और बिजली खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया गया है, जिसे राजस्थान सौलर एनर्जी नीति, 2019 के अनुसार आपसी सहमति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 10 अन्य वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

- राजस्थान सौर उर्जा नीति, 2019 के अनुसार ओपन एक्सेस द्वारा 1 मेगावाट सौर ऊर्जा की थर्ड पार्टी बिक्री के लिए 1 मेगावाट सौलर पॉवर प्लांट स्थापित किया गया है।
- 8 अप्रैल 2021 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को ग्रिड से जोड़ा गया और बाद में 19 अप्रैल, 2021 को सिंक्रोनाइज़ और चालू किया गया है। सौर ऊर्जा को राज्य ग्रिड (यानि, 33/11 केवी जेवीवीएनएल दूसरा जीएसएस नीमराना) में इंजेक्ट किया जा रहा है और खुली पहुंच के माध्यम से सौर ऊर्जा की तीसरे पक्ष की बिक्री 1 जून 2021 से टीजीएमआईपीएल को ओपन एक्सेस प्रभार के 50 प्रतिशत शेयर सहित 4.60 रुपये प्रति यूनिट के अनुमोदित टैरिफ पर शुरू की जा रही है।

3.2 <u>लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्टः</u>

- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस के रूप में विदित) लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स विज्यूलाइजेशन सॉल्यूशन है

    i. जो केवल शिपिंग कंटेनर नंबर का उपयोग कर एक्जिम कंटेनर संचलन की ट्रैकिंग उपलब्ध कराता है;
    ii. पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपुओं/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों तक;
    iii. आयात एवं निर्यात यात्रा के दौरान पोर्ट से जुड़े पार्किंग प्लाजा, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, इंडस्ट्रियल कोरिडोरों में।

- परियोजना को शुरू किया गया है और जेएनपीटी पोर्ट के सभी टर्मिनलों पर सेवाएं 1 जुलाई, 2016 से शुरू हो गई हैं।
- सभी प्रमुख और कुछ छोटे बंदरगाहों सहित अखिल भारतीय स्तर पर सेवा चालू है और अब तक 56 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग/डी-टैग किया जा चुका है।
- नेपाल और बांगलादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक आवागमन और अंतिम छोर तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 14 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए सेवाओं को भी विस्तारित किया गया है।

- एलडीबी सभी एक्जिम हितधारकों के लिए हर महीने विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो निष्पादन बेंचमार्क और कमियों पर समीक्षा प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, एलडीबी में निम्न शामिल हैः
    - भारत के एक्जिमकंटेनर वॉल्यूम का 100%
    - 17 बंदरगाह (27 बंदरगाह टर्मिनलों सहित)
    - 342 सीएफएस, आईसीडी, खाली यार्ड और पार्किंग प्लाजा (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर)
    - 84 टोल प्लाजा (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 03 आईसीपी (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर)
    - 14 एसईजेड (आरएफआईडी इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - 5800 रेलवे स्टेशन (माल परिचालन सूचना प्रणाली)।

3.3 <u>यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूलिप):</u>

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 17 सितंबर, 2022 को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी) के अंतर्गत एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म की शुरुआत की।
- यूलिप एपीआई आधारित एकीकरण द्वारा विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स संबंधित डेटासैट पहुंच के लिए इंडस्ट्री प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए एक डिजीटल गेटवे है।
- 1600+ फील्डों, 104+ एपीआई के माध्यम से 07 विभिन्न मंत्रालयों के 32 सिस्टम के साथ यूलिप का सफलतापूर्वक एकीकरण किया गया है।
- जनवरी, 2022 से यूलिप पोर्टल पर 5.7 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए गए हैं।
- यूलिप पोर्टल (goulip.in) ने शुरुआत से ही निजी क्षेत्र के 390 पंजीकरण प्राप्त किये हैं।
- वर्तमान में 85 प्राइवेट प्लेयरों के 249 यूज केस मामलों की जाँच की गई है।
- यूज केस विकसित करने के लिए प्राइवेट प्लेयरों के 56 नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (एनडीए) हस्ताक्षरित किए गए हैं।
- औद्योगिक संघों के साथ अब तक लगभग 60 से अधिक बैठकें की गई है।

4. <u>पीएम गति शक्ति – नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी)</u>

- सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्तूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरूआत की है।

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक व्यापक योजना है जिसे सभी मल्टीमोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को समग्र रूप से एकीकृत करने और जनता, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए मिसिंग गैप को दूर करने के उद्देश्य से आर्थिक क्षेत्रों और उन्हें समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिंकेज को महत्व देते हुए तैयार किया गया है। योजना में, सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को तीन समय अवधि अर्थात 2014-15 की स्थिति, 2020-21 तक की उपलब्धियां और 2024-25 तक नियोजित हस्तक्षेप से एक ही मंच पर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना ढांचे के साथ रेखांकित किया गया है। अवरोधों को कम करना, लागत दक्षता के साथ कार्यों को शीघ्र पूरा करना, जीवन जीने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना; पीएम गतिशक्ति एनएमपी के अनुसार अवसंरचना के विकास हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

- पीएम गतिशक्ति प्लान देश भर के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, अवसंरचनाओं और उपयोगिताओं की पूरा होने की समय-सीमा के आधार पर प्रमुख लेयर्स के साथ बुनियादी ढांचे के विकास का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। प्रधान मंत्री गतिशक्ति एनएमपी को बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा विकसित किया गया है और इसे गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मंच पर तैयार किया गया है जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट कार्य योजना पर डेटा को एक व्यापक डाटाबेस के भीतर शामिल किया गया है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में सभी मंत्रालयों की सहायता के लिए इस प्रणाली को एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में और विकसित किया जा रहा है जिसमें परियोजना प्रबंधन उपकरण, गतिशील डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट सृजन, अनुपालन उपकरण आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- अलग-अलग सभी मंत्रालयों के आंकड़ों को एक मंच पर एकीकृत किया जा रहा है जो नेटवर्क योजना समूह द्वारा योजना तैयार करने, समीक्षा और निगरानी के लिए उपलब्ध होगे। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, वाणिज्य मंत्रालय, बीआईएसएजी-एन के माध्यम से सभी

हितधारकों को सिस्टम में अपनी आवश्यक लेयर्स को बनाने और अद्यतन करने और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करेगा। वर्तमान में, सभी मंत्रालयों और राज्यों के विभागों से 1450 से अधिक डेटा लेयर्स उपलब्ध है।

- पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के सिद्धांतों को अपनाते हुए विभिन्न इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्टों की योजना तैयार की गई थी जहां मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, अवसंरचना उपलब्धता और कमियों का आकलन किया गया और तत्संबंधी सिफारिशें की गई थी। इन प्रस्तावों को नेशनल प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) को प्रस्तुत किया गया था, जहां नोड के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईएमसी, इंडस्ट्रियल नोड आदि के रूप में जारी एवं भावी प्रोजेक्टों को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में शामिल किया गया है। एनआईसीडीसी की एक तकनीकी टीम बीआईएसएजी-एन पर हैंड-ऑन ट्रेनिंग में शामिल हुई, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैः-

  i. पीएम गतिशक्ति एनएमपी पोर्टल का सिंहावलोकन, इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता और मास्टर प्लानिंग में उनकी उपयोगिता;
  ii. पीएम गतिशक्ति एनएमपी पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच एवं विश्लेषण;
  iii. पोर्टल में मौजूद टूल और विभिन्न लेयरों पर हैंड-ऑन ट्रेनिंग;
  iv. मौजूदा एनआईसीडीपी प्रोजेक्ट लेयरों में सुधार और संवर्धन।

- बीआईएसएजी-एन की तकनीकी टीम द्वारा पीएम गतिशक्ति एनएमपी पोर्टल इंटरफेस के विस्तृत अवलोकन के पश्चात् पोर्टल के भीतर डेटा सेलेक्शन प्रोसेस, बफर एवं नेवीगेशन से संबंधित विभिन्न टूल्स की हैंडलिंग के बारे में बताया गया।

- माल, सेवाओं और जनता की संवर्धित मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और अंतिम छोर तक संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ एकीकृत करने के संबंध में जारी और भावी इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्टों के नियोजन एवं परियोजना विकास में पोर्टल के डेटा एवं टूल्स का उपयोग किया जा रहा है।

5. औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नीति आधारित ऋण

- मार्च, 2020 में आर्थिक मामले विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति ने औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता को मंजूरी दी। प्रस्तावित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य नीतिगत सुधारों द्वारा वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए औद्योगिक कोरिडोर विकसित करने में डीपीआईआईटी/एनआईसीडीसी/एनआईसीडीआईटी को सक्षम बनाना है।

- नीति आधारित ऋण (पीबीएल) को प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण के तहत संरचित किया गया था जिसमें प्रत्येक के लिए 250 मिलियन डॉलर की दो किश्तें शामिल थीं। इस कार्यक्रम की कार्यकारी एजेंसी (ईए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से कार्य करती है और कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसीडीसी द्वारा समर्थित एनआईसीडीआईटी है।

- यह ऋण भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के माध्यम से लिया गया है और इसकी सर्विसिंग और पुनर्भुगतान देयता भी भारत सरकार की होगी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय संरचना के अनुसार इक्विटी और/या ऋण के रूप में परियोजना विशेष एसपीवी को आगे निधियां देने के लिए औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के समग्र अनुमोदित कोष के सहायता-अनुदान के रूप में डीपीआईआईटी के माध्यम से एनआईसीडीआईटी को निधियां जारी करना जारी रखा जाएगा।

- उप-कार्यक्रम 1 में समेकित विकास, अभिनव वित्तपोषण समाधान और औद्योगिक कोरिडोरों में निवेश संवर्धन के लिए संस्थागत संरचनाओं और तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से दस (10) नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं। ईए/आईए द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों, जैसा कि नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित है, के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अक्टूबर 2021 में, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए पीबीएल हेतु 250 मिलियन अमरीकी डालर के पहले उप-कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद, जनवरी 2022 में, ऋण को प्रभावी बनाया गया और इसे भारत सरकार की समेकित निधि में वितरित किया गया।

- उप-कार्यक्रम 1 के साथ, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए ज्ञान सेवाओं हेतु 1 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता (टीए) को मंजूरी दे दी है, जिसे अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा और जिसका पुनर्भुगतान करना अपेक्षित नहीं है और इसे नवंबर, 2021 से शुरू करके 38 महीने की अवधि तक लागू किया जाएगा।

- एडीबी ने उप कार्यक्रम – 2 के लिए 18-26 जुलाई, 2022 के दौरान इनसेप्शन मिशन की शुरूआत की। जिसका उद्देश्य उप कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति और उप कार्यक्रम के सांकेतिक नीति संबंधी मैट्रिक्स पर चर्चा करना है। मिशन ने इनसेप्शन मिशन के भाग के रूप में जुलाई, 2022 में आईसी (शेंद्रा-बिडकिन, धौलेरा और ग्रेटर नौएडा) का फील्ड विजिट किया और डीपीआईआईटी, एनआईसीडीसी और एसपीवी के साथ चर्चा की।

- उप-कार्यक्रम 2 (250 मिलियन अमेरिकी डालर) के लिए 10 नीतिगत कार्रवाइयों को फरवरी, 2022 से दिसंबर, 2025 की मूल समय-सीमा की तुलना में फरवरी, 2022 – दिसंबर, 2023 की समय-सीमा के भीतर पॉलिसी मैट्रिक्स में सूचीबद्ध किया गया है। उप कार्यक्रम 2 के नीतिगत कार्रवाई बिंदुओं के लिए नॉलेज सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए एडीबी द्वारा परामर्शदाताओं का एक समूह तैयार किया गया है। परामर्शदाताओं के साथ शुरूआती बैठक सितंबर, 2022 में आयोजित की गई। नोडल अधिकारियों की सूची एडीबी को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। नीतिगत कार्रवाई बिंदुओं को अंतिम रूप देने से पूर्व एडीबी के साथ इस नीतिगत कार्रवाई बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एडीबी के साथ दिनांक 28.02.2023 और 15.03.2023 को आयोजित बैठकों में सुझाए गए आशोधनों के साथ इन कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एडीबी कार्रवाई बिंदुओं की एक नई सूची प्रस्तुत करेगा। टीए, उप-कार्यक्रम 2 के अंतर्गत कुछ नीतिगत कार्रवाई करने में सहायता करेगा जिसके लिए एडीबी द्वारा कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। 250 अमेरिकी मिलियन डालर के उप-कार्यक्रम-2 के लिए केलेंडर वर्ष 2023 में एक ही किश्त में संवितरित होने की आशा है।

6. <u>वित्तीय परिणाम सार</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ट्रस्ट के मुख्य कोष और अतिरिक्त कोष के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमश: 108.67 करोड़ रुपए और 0.02 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कोष/पूंजीगत निधि	9176.05	9039.13
अचल परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
निवेश	8705.83	8684.17

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
चल परिसंपत्तियां	470.31	355.03
चिन्हित निधियां	शून्य	शून्य
चालू देयताएं	0.09	0.07
गैर-चालू देयताएं	शून्य	शून्य
सकल आय	29.78	30.10
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	28.25	16.36

लेखापरीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अधिनियम, 1971 (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सीएंडएजी को एनआईसीडीआईटी की लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी की लेखापरीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं था। एनआईसीडीसी लिमिटेड, नॉलेज पार्टनर होने के नाते एनआईसीडीआईटी को सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 8.5 के अनुसार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और एनआईसीडीसी लिमिटेड केमुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी ट्रस्टियों का ट्रस्ट में उनके सतत मार्गदर्शन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करती हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता.

(सुमिता डावरा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15 मई, 2023

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः रिपोर्ट/4(2)/विविध/वार्षिकलेखे/
एन.आई.सी.डी.आई.टी./2023-24 272
दिनाँकः 20/09/2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य भवन,
नई दिल्ली- 110011

विषय: वर्ष **2022-23** के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी) के अंकेक्षित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनो सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Council) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

आपसे अनुरोध हैं कि संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरी

—ह०—
(एस.अहलादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य), नई दिल्ली

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

पत्रांक: रिपोर्ट/4(2)/विविध/वार्षिक लेखे/एन.आई.सी.डी.आई.टी./2023-24/372 दिनांक: 20/09/2023

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एन.आई.सी.डी.सी.लिमिटेड, एन.आई.सी.डी.आई.टी के लिये, उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 8th फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 कनाट पैलेस, नई दिल्ली-110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

एस. ह. पंडा

(एस.अह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य), नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा सौंपे गए दिनांक 31 अगस्त, 2022 के पत्र सं. 1(17)-बी(आरएंडसी)/2022 के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं व्यय खाता/प्राप्तियां एवं भुगतान खाते की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना ट्रस्ट के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों के संबंध में केवल लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अंतर्निहित है। कानून, नियमों और विनियमों (प्रोप्राइटी और रेगुलेशन) एवं कुशलता-सह-निष्पादन पहलूओं, आदि, यदि कोई हो, अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पृथक रूप से रिपोर्ट किया गया है।

3. हमनें भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करे तथा निष्पादित करे कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक रूप से मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। किसी लेखारीक्षा में धनराशि को समर्थित करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरण में प्रकटन के परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल होता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन मानकों और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का आकलन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए यथोचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः

(i.) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ii.) इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

(iii.) हमारे अभिमत में, दिनांक 27 सितंबर, 2012 की डीड ऑफ ट्रस्ट के खंड 13.1 के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार एनआईसीडीआईटी द्वारा लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों को उचित रूप से रखा गया है, जैसा इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv.) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

लेखों पर टिप्पणियां

क. सहायता अनुदानः

जैसा एनआईसीडीआईटी द्वारा प्रमाणित किया गया है, 01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार उसके पास परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) और परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) के प्रति 16.46 करोड़ रुपय का अव्ययित शेष है। एनआईसीडीआईटी को वर्ष 2022-23 के दौरान 108.69 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। कुल अनुदान राशि में से एनआईसीडीआईटी ने 123.20 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान 1.78 करोड़ रूपए आयकर रिफंड प्राप्त किए और ब्याज एवं लाभांश के रूप में 0.67 करोड़ रुपए अर्जित किए। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इतिशेष 4.40 करोड़ रुपए था।

ख. जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/निवारात्मक कार्रवाई के सबंध में पृथक रूप से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

(v.) पूर्ववर्ती अनुच्छों में हमारे प्रेक्षणों के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा पुस्तकों के अनुसार है।

(vi.) हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण जिन्हें लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट्स सहित पढ़ा जाए और उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक** में वर्णित अन्य मामलों के अधीन, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के समानुरूप सत्य एवं निष्पक्ष विचार प्रदान करते हैं।

अ. जहां तक कि, यह 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के तुलन पत्र, मामलों की स्थिति से संबंधित है; और

आ. जहां तक कि, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों, अधिशेष से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितंबर, 2023

(एस. अह्लादिनी पंडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
उद्योग एवं कॉरपोरेट मामलें

पृथक लेखापरीक्षा का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

ट्रस्ट में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

ट्रस्ट में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

3. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

एनआईसीडीआईटी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

4. सामग्री-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

एनआईसीडीआईटी के पास कोई सामग्री-सूची नहीं है।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

एनआईसीडीआईटी सांविधिक बकायों का नियमित रूप से भुगतान कर रही है।

हस्ता .

निदेशक (एएमजी-III)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

तुलन पत्र
31 मार्च, 2023 तक

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2022-23	2021-22
कोष/ पूंजीगत निधि और देयताएं			
कोष/पूंजीगत निधि	1	91,76,04,91,269	90,39,13,06,911
आरक्षित और अधिशेष	-	-	-
चिन्हित/ अक्षय निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	8,64,521	6,89,329
जोड़		**91,76,13,55,790**	**90,39,19,96,240**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-
निवेश	3	87,05,83,01,831	86,84,16,84,431
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	4,70,30,53,959	3,55,03,11,809
जोड़		**91,76,13,55,790**	**90,39,19,96,240**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग है।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता. हस्ता.

(सुमिता डावरा) **(राजेश कुमार सिंह)**
सीईओ एवं सदस्य सचिव **अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.05.2023

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

आय और व्यय लेखा

31 **मार्च**, 2023 **को समाप्त वर्ष के लिए**

(राशि रुपए में)

विवरण	**अनुसूची**	2022-23	2021-22
आय			
अर्जित ब्याज	5	29,59,43,855	29,89,28,951
अन्य आय	6	18,73,610	20,82,460
जोड़ (क)		29,78,17,465	30,10,11,411
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	1,53,06,307	13,74,39,110
जोड़ (ख)		1,53,06,307	13,74,39,110
आय का व्यय पर आधिक्य के बाद शेष (क-ख)		28,25,11,158	16,35,72,301
अतिरिक्त कोष को अंतरित		6,70,999	6,05,059
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतिरत		-	-
अधिशेष/(कमी) होने के कारण मुख्य कोष/ पूंजीगत निधि में अग्रेषित		28,18,40,159	16,29,67,242
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग है।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता. हस्ता.

(सुमिता डावरा) **(राजेश कुमार सिंह)**
सीईओ एवं सदस्य सचिव **अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 15.05.2023

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

प्राप्ति और भुगतान
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	2022-23	2021-22	भुगतान	2022-23	2021-22
I. **अथशेष**			I. **व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,51,29,823	13,72,59,596
ख) बैंक शेष					
i) बचत खाते में	81,079	34,03,604	II. **विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान**		
ii) जमा खातों में	16,44,78,317	3,67,75,99,846	क) मुख्य निधि से		
			निम्न को जारी ऋण:		
			i) एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	1,00,00,00,000	
II. **प्राप्त अनुदान**			ख) अतिरिक्त निधि में से		
क) मुख्य निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	1,08,66,73,200	8,09,00,00,000	- एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान		
ख) अतिरिक्त निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त			-परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां करने के लिए	1,00,000	50,00,00,000
			-स्वच्छता कार्य योजना के लिए	1,00,000	10,00,000
-परियोजना विकास गतिविधियां	1,00,000	50,00,00,000			
-स्वच्छता कार्य योजना	1,00,000	10,00,000			
			III. **निम्न में से किया गया निवेश और निक्षेप**		
III. निम्न के निवेशों पर आय			क) मुख्य निधि में से	21,66,17,400	11,57,32,06,890
क) मुख्य निधि	-	-	ख) अतिरिक्त निधि में से	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	-	-			
			IV. **स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**	-	-
IV. **प्राप्त ब्याज**					
क) बैंक जमाओं पर (टीडीएस के बाद)	47,07,447	72,54,516			
ख) बचत खातों पर	85,937	6,91,27,166	V. **अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी**	-	-
V. अन्य आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)			VI. **वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
क) मुख्य निधि	18,67,683	20,47,208			
ख) अतिरिक्त निधि	5,927	252	VII. **अन्य भुगतान**	-	-
VI. **उधार ली गई राशि**	-	-	VIII. **इति शेष**		
			क) रोकड़ शेष	-	-
VII. **अन्य कोई प्राप्तियां**			ख) बैंक शेष		
(i)आयकर रिफंड	1,78,43,920	2,55,93,290	i) बचत खातों में	76,485	81,079
(ii) एनआईसीडीसी लिमिटेड से व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-	ii) जमा खातों में	4,39,19,802	16,44,78,317
(iii) इक्विटी अंतरण	-	-			
जोड़	**1,27,59,43,510**	**12,37,60,25,882**	**जोड़**	**1,27,59,43,510**	**12,37,60,25,882**

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता. हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.05.2023

(सुमिता डावरा)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

31 **मार्च**, 2023 **को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां**

(राशि रुपए में)

विवरण		**2022-23**	**2021-22**
अनुसूची 1: **कोष/पूंजीगत निधि**			
1.0. **मुख्य कोष/पूंजीगत निधि**			
वर्ष की शुरूआत में शेष		90,37,85,96,889	82,12,56,29,647
जोड़े: कोष/पूंजीगत निधि के लिए प्राप्त अंशदान		1,08,66,73,200	8,09,00,00,000
जोड़े/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		28,18,40,159	16,29,67,242
वर्ष के अंत में शेष (क)		**91,74,71,10,248**	**90,37,85,96,889**
1.1. **एनआईसीडीसी लिमिटेड के लिए अतिरिक्त कोष (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)**			
वर्ष की शुरूआत में शेष		4,72,94,25,787	4,22,84,25,787
जोड़ें: अतिरिक्त कोष/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान			
- परियोजना विकास गतिविधियों हेतु		1,00,000	50,00,00,000
- स्वच्छता कार्य योजना हेतु		1,00,000	10,00,000
	(अ)	4,72,96,25,787	4,72,94,25,787
जोड़े: आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- पिछले वर्ष तक		38,40,11,235	38,34,06,176
- चालू वर्ष के दौरान		6,70,999	6,05,059
	(आ)	38,46,82,234	38,40,11,235
घटाएः एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोग की गई राशि			
- पिछले वर्ष तक		5,10,07,27,000	4,59,97,27,000
- चालू वर्ष के दौरान		2,00,000	50,10,00,000
	(इ)	5,10,09,27,000	5,10,07,27,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (अ) + (आ) - (इ)]		**1,33,81,021**	**1,27,10,022**
सकल जोड़ (क+ख)		**91,76,04,91,269**	**90,39,13,06,911**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

31 **मार्च**, 2023 **को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां**

(राशि रुपए में)

विवरण		**2022-23**	**2021-22**
अनुसूची 2 : **चालू देयताएं और प्रावधान**			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध लेनदार:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		1,14,282	1,09,090
2. सांविधिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		9,500	9,500
	(क)	1,23,782	1,18,590
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष		5,70,739	4,00,739
	(ख)	7,40,739	5,70,739
जोड़ (क + ख)		**8,64,521**	**6,89,329**
अनुसूची 3 : **निवेश**			
1. चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश		-	-
2. निवेश – अन्य			
(क) शेयर			
निम्न के इक्विटी शेयरों में निवेश: (अनुसूची 9 के नोट 4.0 के संदर्भ में)			
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		55,93,00,000	55,93,00,000
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नौएडा लिमिटेड		14,70,25,26,880	14,70,25,26,880
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)		30,00,00,00,000	30,00,00,00,000
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		27,84,83,00,001	27,84,83,00,001
- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड		4,01,98,000	4,01,98,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		2,08,05,41,750	2,08,05,41,750
- धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड*		24,24,00,000	24,24,00,000
- सीबीआईसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		5,86,73,86,600	5,86,73,86,600
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		5,33,86,48,600	5,22,10,31,200
- सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
- दि केरल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000
- राजस्थान इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड		4,90,00,000	-
- एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड		2,50,00,000	-
- एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	-
(ख) अन्य			
- एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पॉवर लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए मैसर्स एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी निधियां (अनुसूची-9 का संदर्भ नोट सं. 3)		13,00,00,000	13,00,00,000
जोड़		**87,05,83,01,831**	**86,84,16,84,431**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	2022-23	2021-22
		(राशि रुपए में)
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि		
4.0. चालू परिसंपत्तियां:		
1. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष:		
(क) जमा खातों में		
- मुख्य कोष	3,10,44,221	15,21,63,575
- अतिरिक्त कोष	1,28,75,581	1,23,14,742
(ख) बचत खातों में		
- मुख्य कोष	25,054	26,134
- अतिरिक्त कोष	51,431	54,945
(क)	**4,39,96,287**	**16,45,59,396**
4.1. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां:		
1. निम्न को ऋण और अग्रिम:		
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2,60,54,00,000	2,60,54,00,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	1,00,00,00,000	-
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज और बकाया : -		
- मुख्य कोष	73,854	13,21,131
-अतिरिक्त कोष	3,47,342	3,06,003
3. निम्न से ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं:		
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड *	93,69,80,225	73,76,67,125
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड**	6,37,15,069	-
4. अन्य:		
-स्रोत पर कर कटौती		
i. मुख्य निधि	5,24,09,533	4,09,35,099
ii. अतिरिक्त निधि	1,26,528	1,16,642
-पूर्वदत्त व्यय	5,121	6,168
-सेवाओं के लिए अग्रिम (स्टॉक होल्डिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)	-	245
(ख)	**4,65,90,57,672**	**3,38,57,52,413**
जोड़ (क + ख)	**4,70,30,53,959**	**3,55,03,11,809**

* डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के साथ निष्पादित ऋण अनुबंध के उप-नियम 5.1 के अनुसार, एसपीवी को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 7 जुलाई, 2015 की परियोजना शुरु होने की तिथि से 10 वर्ष की अधिस्थगन अवधि पूरा होने के पश्चात् ही प्राप्त होगा।

** एनआईसीडीसी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ निष्पादित ऋण अनुबंध के उप-नियम 5.1 के अनुसार, एसपीवी को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 01 जून, 2022 परियोजना शुरु होने की तिथि से 10 वर्ष की अधिस्थगन अवधि पूरा होने के पश्चात् ही प्राप्त होगा। .

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

विवरण	2022-23	2021-22
अनुसूची 5 : **अर्जित ब्याज**		
(1.) आवधिक जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष	29,40,514	77,39,452
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 3.27,057/-]		
(पिछले वर्ष - ₹ 711,224/-)		
(ख) अतिरिक्त कोष	6,63,883	6,03,332
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 66,337/-]		
(पिछले वर्ष - ₹ 60,191/-)		
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष	84,748	6,91,25,692
(ख) अतिरिक्त कोष	1,189	1,475
(3.) ऋण पर:	29,22,53,521	22,14,59,000
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 2,92,25,352/-]		
(पिछले वर्ष - ₹ 2,21,45,900/-)		
जोड़	**29,59,43,855**	**29,89,28,951**
अनुसूची 6: **अन्य आय**		
1. आयकर रिफंड पर ब्याज:		
(क) मुख्य कोष	18,67,683	20,47,208
(ख) अतिरिक्त कोष	5,927	252
2. प्रावधान का प्रतिलेखन	-	35,000
जोड़	**18,73,610**	**20,82,460**
अनुसूची 7 : **अन्य प्रशासनिक व्यय**		
क) सर्विस फीस	1,21,66,174	11,57,32,070
ख) सर्विस फीस पर कर व्यय*	21,89,912	2,08,31,774
ग) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		-
- चालू वर्ष	1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष	-	-
घ) पेशेवर और परामर्श फीस	1,18,590	1,25,080
ड़) शेयर अभौतिकीकरण व्यय	6,55,010	5,45,993
च) अन्य		
- विविध व्यय	6,621	34,193
जोड़	**1,53,06,307**	**13,74,39,110**

* भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के अवलोकन के अनुपालन में, न्यासी बोर्ड द्वारा 21 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 8 वीं बैठक में एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि एनआईसीडीसी लिमिटेड को 1% की दर से भुगतान की गई सर्विस फीस एनआईसीडीआईटी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/नोड एसपीवी को जारी की गई निधियों के एक वर्ष में 20 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है जिसमें कर शामिल नहीं है। तदनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड को भुगतान की गई सर्विस फीस और सर्विस फीस पर 18% की दर से जीएसटी को अलग से दर्शाया गया है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.0 लेखों को तैयार करने का स्वरूप

विशेषज्ञों की समिति की नवंबर 2020 की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वायत निकायों के लिए निर्धारित किए गए लेखों के समरूप प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए है।

2.0 लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा जाए ऐतिहासिक लागत और लेखांकन की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया गया है।

3.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अभिग्रहण की प्रासंगिक लागत सहित वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है।

4.0 स्थायी परिसंपत्तियां

4.1 स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, लागत से घटाकर प्रदर्शित किया गया है;

4.2 अभिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार न हो जैसा प्रबंधन द्वारा अपेक्षा की गई है;

4.3 स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित उत्तरवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। वहन की गई मरम्मत और अनुरक्षण लागत को आय और व्यय लेखा में प्रदर्शित किया जाता है;

4.4 मूल्यह्रास को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

5.0 सरकारी अनुदान

5.1 ट्रस्ट निम्न के लिए भारत सरकार से पृथक रूप से गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान प्राप्त करता है:

(i) ट्रस्ट के मुख्य कोष के लिए ''पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन" को ''कोष/पूंजीगत निधि'' के अंतर्गत ''मुख्य कोष'' में दर्शाया गया है; और

(ii) परियोजना विकासात्मक गतिविधियों और स्वच्छता कार्य योजना के लिए सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) को दिए जाने वाले चिह्नित ''सामान्य'' को ''कोष/पूंजीगत निधि'' के अंतर्गत ''अतिरिक्त कोष'' के रूप में दर्शाया गया है।

5.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

6.0 राजस्व स्वीकरण

6.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकारा जाता है।

6.2 ''मुख्य कोष'' और ''अतिरिक्त कोष'' की अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप में दर्शाया जाता है।

7.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्ययों को ''मुख्य कोष/पूंजी निधि'' के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान की अधिशेष निधि पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

8.0 सेवा फीस

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सर्विस फीस को 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है।

9.0 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में व्यय को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर लेखाबद्ध किया जाता है और विदेशी मुद्राओं में आय इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध की जाती है।

10.0 लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभों को अपने पास रखता है। लीज अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज के भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

1.0 न्यास विलेख के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने मौजूदा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के साथ अन्य इंडस्ट्रियल कोरिडोरों यथा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी), बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और इसका कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार (30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 4वीं बैठक मे एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल करिडोर (ईसीआईसी) के अंतर्गत विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) परियोजना को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित करने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन को दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 11/1/2016 द्वारा सूचित किया था।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों (ज़ोन) को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी सरंचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति - नेशनल मास्टर प्लान के समग्र ढाँचे के भीतर, औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। इन 11 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं को पहले ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

2.0 15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार से अनुमोदित वित्तीय और संस्थानिक संरचना के अनुसार दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में भारत सरकार, औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 में शुरू होकर अगले पांच वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देगी। परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों की सीमा में प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी वाली सेक्टोरल होल्डिंग कंपनियों के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से विदित) को देने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार ने 07 दिसंबर, 2016 को अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक की विस्तारित अवधि में 1584 करोड़ रुपए (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपए और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय के लिए 84 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त स्वीकृति सहित उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता उपयोग करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है जिसे दिसंबर, 2020 की अपनी बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन से मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया गया ।

वर्ष के दौरान, मुख्य कोष/पूंजीगत निधि में 108.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 809 करोड़ रुपए की राशि) और अतिरिक्त कोष के लिए 0.02 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 50.10 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त की गई थी।

भारत सरकार के योगदान को परिक्रामी कोष निधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अतिरिक्त कोष के लिए प्राप्त राशि को एनआईसीडीसी की परियोजना विकास गतिविधियों के लिए व्ययों हेतु जारी किया गया है, इसे एनआईसीडीआईटी के लिए उपयोग किया समझा जाता है।

बहरहाल, 31 मार्च, 2023 को एनआईसीडीसी लिमिटेड के लेखों में 11,34,48,346/- रुपए (पिछले वर्ष - 28,61,57,080/- रुपए) है, जिनमें एनआईसीडीआईटी द्वारा संचयी निधियां और तत्संबंधी ब्याज शामिल है।

3.0 आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) ने 6.00 मेगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश हेतु अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली ''एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड'' नामक एसपीवी को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजी निधि में से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस तरह के निवेश में वृद्धि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आ जाएगी। जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की कोष निधि से घटा दी गई थी।

लेन-देनों के प्रकटन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडऐजी) के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार, ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजीगत निधि से घटाई गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुन: जोड़ा गया था। तदनुरूप प्रकटन "निवेश" शीर्ष के अंतर्गत किया गया था।

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

4.0 31.03.2023 तक इक्विटी शेयरों में निवेश

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2023 तक निवेश	धारित शेयरों की सं.	अंकित मान	एनआईसीडीआईटी की धारिता %	ट्रस्टियों द्वारा धारित शेयरों की सं.		
					श्री अनुराग जैन	श्री टीवी सोमनाथन	श्रीमती सुमिता डावरा
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड .	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173
धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
एनआईसीडीआईटी कृष्णपट्नम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858
सीबीआईसी पोल्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
दी केरला इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
राजस्थान इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998
एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड .	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
जोड़	**86,92,83,01,831**	**8,64,24,93,183**			**18**	**18**	**8,64,24,93,147**

31.03.2022 तक इक्विटी शेयरों में निवेश

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2022 तक निवेश	शेयरों की सं.	अंकित मान	एनआईसीडीआईटी की धारिता %	ट्रस्टियों द्वारा धारित शेयरों की सं.		
					श्री अनुराग जैन	श्री टीवी सोमनाथन	श्री अमृत लाल मीणा
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड .	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173
धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
एनआईसीडीआईटी कृष्णपट्नम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	5,22,10,31,200	52,21,03,120	10	50%	1	1	52,21,03,118
सीबीआईसी पोल्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
दी केरला इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
जोड़	**86,71,16,84,431**	**8,62,08,31,443**			**15**	**15**	**8,62,08,31,413**

अनुसूची 9 : आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

5.0 कर्मचारी हितलाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। रिटायरमेंट सहित कर्मचारी हितलाभ के मद में देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

6.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

7.0 पूंजीगत वचनबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

8.0 चालू परिसंपत्तियां , ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के अभिमत और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम व्यापार की सामान्य विधि से प्राप्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लिखित की गई राशि से कम नहीं होगी।

9.0 करारोपण

आयकर निदेशक (छूट) ने 28 मार्च, 2013 को ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उत्तर मे वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए जिसे धारा 12एए के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत पंजीकरण को दिनांक 13 अगस्त 2013 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में हालिया संशोधनों के अनुसार, ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत स्वयं को पुनः पंजीकृत किया है। प्रधान आयुक्त, आयकर ने दिनांक 28 मई, 2021 के आदेश द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए की उप-धारा (1) के खंड (एसी) के उप-खंड (i) के अंतर्गत आकलन वर्ष 2022-23 से आकलन वर्ष 2026-27 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम पंजीकरण की अनुमति दी है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 23,81,33,748/- रुपए (पिछले वर्ष 11,84,20,589/- रुपए) की राशि ट्रस्ट की आय से अलग रखी गई है जिसका उपयोग औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के उद्देश्य से 5 वर्षों के भीतर यानी 31.03.2028 तक किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अलग रखी गई राशि को औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य से पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है।

10.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन	**राशि (₹) 2022-23**	**राशि (₹) 2021-22**
10.1 विदेशी मुद्रा में आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

11.0 लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
11.1 लेखा परीक्षक फीस		
- चालू वर्ष के लिए	1,70,000	1,70,000
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए	-	-
11.2 कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
11.3 अन्य सेवाओं के लिए	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के नाम से विदित)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

12.0 परियोजना विकास व्यय

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच संबंधित सहायक उपक्रमों/गठित एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) द्वारा वहन किए 'परियोजना विकास व्यय' अंतरित करने के मामले को दिनांक 06.03.2018 की एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया।

न्यासी मंडल के निर्देशों के अनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परियोजना विकास निधि में से उल्लिखित सहायक उपक्रमों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी द्वारा वहन किए गए 'परियोजना विकास व्यय' संबंधित एसपीवी को अंतरित कर दिए गए हैं और जहां कहीं भी एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसी(सियों) के बीच शेयरहोल्डर अनुबंध वसूली का प्रावधान करता है, एसपीवी द्वारा पर्याप्त अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम होने तक इसकी वसूली रोक दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए वहन किए गए परियोजना विकास व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया गया है अथवा कोई गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य(यों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, उन्हें एनआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजी कोष' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाए जाने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

13.0 टित निधि में से केवल 108.69 करोड़ प्राप्त एवं उपयोग किए जा सके। 5 परियोजना प्रस्तावों से संबंधित शेष राशि प्राप्त नहीं हुई है जो भारत सरकार के पास विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए है।

14.0 प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा को वर्ष के दौरान रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है।

15.0 ट्रस्ट के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

ट्रस्ट अपने आकलन और व्यापार के स्वरूप के आधार पर विश्वास करता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का ट्रस्ट के परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

16.0 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

17.0 अनुसूची 1 से 9 संलग्न है जो 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा के आंतरिक भाग है।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता. हस्ता.

(सुमिता डावरा) **(राजेश कुमार सिंह)**
सीईओ एवं सदस्य सचिव **अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.05.2023

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2022-23

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2019-20, 2020-21 and 2021-22.	**Year** FY 2019-20 FY 2020-21 FY 2021-22	**Lok Sabha** 10.02.2021 09.02.2022 21.12.2022	**Rajya Sabha** 12.02.2021 11.02.2022 23.12.2022
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Not Applicable		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	Annual Report for the financial year 2022-23	52 - 80
2	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts for the year ending 31st March, 2023	81 - 85
3	Certified Annual Accounts for the financial year 2022-23	86 - 98

ANNUAL REPORT 2022-23

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

Table of Contents

S.No	Particulars	Page No
1.	**Introduction**	3
	1.1 Background	3
	1.2 Institutional Framework	4
	1.3 Delegation of Power	5-6
	1.4 Planning of Industrial Corridor Nodes and their Sustainability Features adopted	6
	1.5 Overall Review of the Business & Operations	7-12
2.	**Breif Status of Projects**	13
	2.1 Projects which are approved by the NICDIT and Government of India	13-15
	2.2 Projects which are approved by the NICDIT and are under consideration by Government of India	16-17
	2.3 Projects where Project Development Acticities are under process	17-20
3.	**Other Standalone Projects**	21
	3.1 Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan	21-22
	3.2 Logistic Data Bank Project	22
	3.3 Unified Logistics Interface Platform(ULIP)	23
4.	**PM Gati Shakti-National Master Plan (NMP)**	24-25
5.	**Policy Based Loan(PBL) from Asian Development Bank for Industrial Corridor Development Programme.**	26-27
6.	**Financial Results Summary**	28
	Acknowledgement	29

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2022-23)

1. Introduction

1.1 Background

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT functions under the administrative control of the Department for Promotion of Industy and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India . The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

i. Secretary, DPIIT, Chairperson;
ii. Secretary, Department of Expenditure, Member;
iii. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
iv. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
v. Secretary, Ports, Shipping and Waterways, Member;
vi. Chairman, Railway Board, Member;
vii. CEO, NITI Aayog, Member; and
viii. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role, responsibilities and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India and providing Equity/Debt to the SPVs formed in joint venture with State Governments/other stakeholders for implementation of projects;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time, to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

h) NICDIT shall maintain accounts in the form prescribed by the Government on the advice of the C&AG of India and the accounts shall be subject to audit by the C&AG of India.

1.2 The Institutional Framework of NICDIT

a) The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b) NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c) GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by NICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-

term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d) For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DPIIT and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e) Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization, etc.

1.3 Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

Further, CCEA in its meeting held on 30.12.2020 delegated powers to NICDIT to change phasing of various projects, based on the progress of projects, availability of land and physical preparedness.

During the year 2022-23, the Board of Trustees held meetings on 08th June 2022 and 14th December 2022.

1.4 Planning of Industrial Corridor Nodes and Sustainability Features:

Industrial Corridor nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.
e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, e-Governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.
f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.
g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.

h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.
i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.
j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.
k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

1.5 Overall Status of the Business and Operations

a) Presently, as part of National Industrial Corridor Program, following 11 Industrial Corridors with 32 Projects sanctioned are being taken up for development in 04 phases forming part of National Infrastructure Pipeline (NIP):

i. Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC);
ii. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
iii. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC);
iv. East Coast Industrial Corridor (ECIC) with Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) as Phase 1;
v. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC);
vi. Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore;
vii. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
viii. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
ix. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC);
x. Odisha Economic Corridor (OEC) and
xi. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC).

The 32 projects listed in 4 different phases were taken up for implementation/project development. Those projects where the Concerned State Govt(s) were able to provide land on the basis of land already in their possession and also where the land acquisition process was initiated, based on the assurance given by the State Govt(s), the project development activities were taken up. Another important aspect was the execution of the Shareholders Agreement and the State Support Agreement with the respective State Govt(s).

Government of India (CCEA) in December,2020 has also delegated the powers to NICDIT to change phasing of various projects based on progress of projects, availability of land and physical preparedness.

After exhaustive follow-ups with all stakeholders, following 5 projects out of the list of 32 projects have been/ will be dropped from NICDIT phasing owing to reasons like-non-availability/confirmation/delineation of land parcels, non-concurrence on institutional & financial framework and Project being unviable:

i. Multi Modal Logistics Park, Sanand (500 acres)(Gujarat, DMIC) -dropped
ii. Dharmapuri Salem (1,773 acres)(Tamil Nadu, CBIC Extension) - dropped
iii. Raghunathpur Industrial Park (2,483 acres) (West Bengal, AKIC) – dropped
iv. Ponneri Industrial Area (4,000 acre) (Tamil Nadu, CBIC) – dropped
v. Pharma City Node (8,000 acres)(Telangana, HWIC) - dropped

In addition to the above another project namely IMC Prayagraj (1,140 Acre) (Uttar Pradesh, AKIC), a brownfield project which earlier was not forming part of the list of 32 projects has now also been included in the list of 28 projects and is taken up for the project development activities.

Further, projects namely IMC Baddi Barotiwala Nalagarh (BBN), (1162 Acre) (Himachal Pradesh, AKIC) which was also approved as part of National Industrial Corridor Development Programme but was not forming part of the list of 32 projects, was taken up for Project Development activities but could not move forward for want of land or non-concurrence by the State Govt. on institutional & financial framework and Project being unviable shall be dropped for further process of development.

Accordingly, following 28 Projects remaining out of the list of 32 projects are currently being undertaken based upon the project preparedness and confirmation of land parcels from the respective State Governments:

Phase 1 : (Already Approved and under implementation)	
1.	Dholera Special Investment Region (DSIR), (Activation area 22.5 sq. kms) (Gujarat, DMIC)
2.	Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), (18.55 sq. kms out of total area of 40.2 sq. kms.) (Maharashtra, DMIC)
3.	Integrated Industrial Township – Greater Noida (IIT-GN), (747.5 Acre) (Uttar Pradesh, DMIC)
4.	Integrated Industrial Township – Vikram Udyogpuri (IIT-VUL), (1,100 Acre) (Madhya Pradesh, DMIC)
5.	Integrated Multi-Modal Logistics Hub – Nangal Chaudhary (IMLH-NC) (886 Acre), (Haryana, DMIC)

Phase 2 : (In advance stage of planning and implementation)	
6.	Krishnapatnam Industrial Area (2,500 Acre) (Andhra Pradesh, CBIC)
7.	Tumakuru Industrial Area (1,736 Acre) (Karnataka, CBIC)
8.	Multi Modal Logistics Hub & Multi Modal Transport Hub (MMLH & MMTH) (1,208 Acre) (Uttar Pradesh, DMIC)
9	Dighi Port Industrial Area (6,056 Acre) (Maharashtra, DMIC)
10.	Khurpia Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,002 Acre) (Uttarakhand, AKIC)
11.	Zaheerabad Phase 1 (3,909 Acre) (Telangana, HNIC)
12.	Rajpura Patiala IMC (1,098 Acre) (Punjab, AKIC)
13.	Palakkad Industrial Area (1,710 Acre) (Kerala, CBIC Extension)
Phase 3 (Under Development and implementation likely to be initiated by 2023-24)	
14.	IMC at Agra (1,059 Acre) (Uttar Pradesh, AKIC)
15.	IMC Gaya (1,670 Acre) (Bihar, AKIC)
16.	Hisar Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,605 Acre) (Haryana, AKIC)
17.	Kopparthy Industrial Area (2,595 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC)
18.	Vishakhapatnam Industrial Area (4,300 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC) to be taken up in 2 phases
19.	Khushkhera Bhiwadi Neemrana Industrial Area (1,378 Acre) (Rajasthan, DMIC)
20.	Jodhpur Pali Marwar Industrial Area , now Marwar Industrial Cluster (8,121 Acre) (Rajasthan, DMIC) with Phase A as 1,578 acre
Phase 4 (Under Conceptualization and implementation likely to be initiated by 2024-25)	
21.	Dharwad Node (6,042 Acre) (Karnataka, BMIC)
22.	Satara Node (12,355 Acre) (Maharashtra, BMIC)
23.	IMC Bokaro, (Jharkhand , AKIC)
24.	IMC Prayagraj (1,140 Acre) (Uttar Pradesh, AKIC)
25.	Odisha Economic Corridor (OEC): 11,366 Acre a) Paradip-Kendrapada-Dhamra-Subarnarekha

	b) Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar
26.	Orvakal Industrial Area (4,742 Acre) (Andhra Pradesh, HBIC)
27.	Chittoor Industrial Area (8,967 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC)
28.	New Node(s) under Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)

The brief status of projects under different phases is as under:

Phase- 1

The trunk infrastructure works in Phase-1 nodes under Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) has either been completed or are nearing completion in 04 Greenfield Smart Industrial Cities: Shendra Bidkin (MH), Dholera (GJ), Greater Noida (UP) & Vikram Udyogpuri (MP). Shendra Industrial Area in Aurangabad, Maharashtra was dedicated to the Nation by Hon'ble Prime Minister in September, 2019. The work for development of trunk infrastructure in Integrated Multi-Modal Logistics Hub at Nangal Chaudhary is ongoing and is likely to be completed soon.

A total of 232 plots admeasuring nearly 1,208 Acres have been allotted to companies with investment to the tune of more than Rs. 18,303 Crore including investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), TATA Chemicals, Renew Power, Coatall Films (US collaboration), Fuji Silvertech (Japanese),J-World (South Korea) & AMUL in above mentioned 04 cities. 26 companies have started commercial operations and 72 companies are under construction in these 04 cities The node wise status of land allotted, investment secured and estimated employment generation is given as under:

S No.	**Project/State**	**Plots Alloted**	**Area (Acre)**	**Investment (Rs. in Crore)**	**Employment Generated**
Plot allotment in the month of March,2023					
1.	Shendra Industrial Area	5	3	12	51
Cumulative allotment as on 31st March,2023					
1	Dholera Special Investment Region, Gujarat	4*	244	5275	2600
2	Shendra Bidkin Industrial Area, Maharashtra	196	570	5931	9292

3	Integrated Industrial Township, Greater Noida, Uttar Pradesh	8	168	5110	11810
4	Integrated Industrial Township, Vikram Udyogpuri, Madhya Pradesh	24	226	1987	6466
Grand Total		**232**	**1,208**	**18,303**	**30,168**

(*Excluding 2 plots allotted to Vedanta Semiconductors admeasuring 254 Acre in DSIR. The LoA is yet to be issued).

At present, 2429 acre of developed Land for Industrial use and 2502 acre of Land for mixed use is available with the above mentioned 4 SPVs.

Phase- 2

Government of India in December, 2020 also approved 03 more projects Krishnapatnam (AP), Tumakuru (KA) and MMLH & MMTH at Greater Noida (UP).

In respect of Tumakuru Node, the EPC contractor has been appointed for construction of various components of Trunk Infrastructure. Hon'ble Prime Minister in February 2023 has laid the foundations stone of the project.

Additionally, following 06 Industrial Corridor Projects have also been approved by NICIDT:

i. Khurpia Farm, Uttarakhand (1,002 acre)
ii. Rajpura-Patiala, Punjab (1,098 acre)
iii. Dighi Port Industrial Area, Maharashtra, (6,056 acre)
iv. Palakkad node, Kerala, (1,710 acre)
v. Jodhpur Pali Marwar Industrial Area, now called Marwar Industrial Cluster(1,577 acre)
vi. Zaheerabad Industrial Node, Telangana, (3909 acre)

Out of the above 6 projects, projects at Sl No. (i) to (iv) have been submitted for the consideration and approval of GoI (CCEA).

The project at Sl No. (v) which has also been approved by NICDIT and the approval from Hon'ble Commerce and Industry Minister and Hon'ble Finance Minister, GoI is being sought.

The project at Sl No. (vi) will be placed for the consideration and approval of GoI (CCEA) after the confirmation from the State Govt. on the Institutional and Financial Structure approved by GoI for the development of Industrial Corridor.

Phase- 3 & 4

Projects under Phase 3 and 4 are in different stages of project development including identification of suitable land parcels, concurrence of the respective State Govt(s) on institutional & financial framework etc.hgh

The status of all the ongoing projects under various corridors has been outlined in subsequent section.

b) During FY 2022-23, Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) for IMC Khurpia and IMC Rajpura Patiala have been executed with Govt. of Uttrakhand and Punjab respectively as part of AKIC Project.

2. Breif Status of the projects

2.1 Projects which are approved by the NICDIT and Government of India.

a) Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat:

- DSIR has been planned over an area of approximately 920 sq. km and Phase I Activation area of 22.5 sq. km has been carved out wherein trunk infrastructure works are nearing completion;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 2784.83 crore divided into five packages for activation area;
- State Govt. has transferred 48.31 sq. kms to DICDL (SPV) and matching equity amounting to Rs. 2784.83 crore has been released;
- 04 plots admeasuring 234 Acres have been allotted with TATA Chemicals as anchor investor;
- Recently, 2 more plots admeasuring 254 Acre land has also been allotted to Vedanta-Foxconn for setting up their Semiconductor and Display unit at Dholera;
- 1,021 Acre industrial land is readily available for allotment;
- Out of the area earmarked for development of 1000 MW of Solar Park, 300 MW has been awarded to Tata Solar Power Ltd.;
- External connectivity projects of 6-lane greenfield expressway from Ahmedabad to Dholera by NHAI, Dholera International Airport and Bhimnath Dholera Rail link are also being implemented.

b) Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra

- Part I of SBIA covers an area of 40.2 sq. km;
- State Govt. has transferred entire 8.39 sq kms for Shendra Industrial Area and 28.8 sq. kms for Bidkin Industrial Area to the SPV. Matching equity amounting to Rs. 602.80 crore and Rs. 2397.20 crore respectively has also been released;
- For Shendra Industrial Area, major trunk infrastructure packages have been completed;
- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the nation on 7th September, 2019;
- In Shendra,193 plots admeasuring 430 Acre have been allotted including one to HYOSUNG (100 Acre) as the anchor investor. 22 companies have started their commercial operations as well;
- For Bidkin Industrial Area, GoI has approved the infrastructure packages worth Rs. 6414.21 crore to be developed in 3 phases with Phase A cost as Rs.2427.02 crore. The major trunk infrastructure works for Sector A (10.32 sq. km) have been completed;

- 3 plots admeasuring 140 acre land has been allotted in Bidkin, out of which land admeasuring 138 acre has been allotted to Piramal Pharma Pvt. Ltd.
- 937 Acre industrial land is readily available for allotment in SBIA.

c) **Integrated Industrial Township Project, Greater Noida, Uttar Pradesh**

- Land admeasuring 747.5 Acre has been transferred to the SPV of the project and matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- 08 plots admeasuring 168 Acre have been allotted with HAIER (122 Acre) as the anchor investor;
- 155 Acre Industrial Land is readily available for allotment.

d) **Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya Pradesh**

- State Govt. has transferred 1026 Acre land to the SPV and matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released along with a debt of Rs. 260.54 Crore;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 749.1 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- 24 plots admeasuring 226 Acre have been allotted with AMUL as anchor investor;
- Further, 360 acre gross area has also been allotted for a Medical Device Park.
- 63 Acre of Industrial Land is readily available for allotment.

e) **Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana**

- Project has been approved by GoI in May, 2018;
- Land admeasuring approx. 886 Acre has been identified in District Mahendergarh for the project;
- 686 Acre has been transferred to project SPV and matching equity amounting to Rs. 208.05 crore has been released by NICDIT along with a debt of Rs. 100 Crore;
- Approx. 158 Acre land is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana;
- Works on deposit basis is in progress for various external connectivity projects of water, power & road being undertaken by the State Govt. agencies;
- MoU executed with DFCCIL for works related to external rail connectivity upto project site on deposit basis and construction works are in progress;

- 20E Notification for 23.688 Acre of land to be acquired under Railways Act published for providing external rail connectivity from New Dabla Station undertaken by DFCCIL along with State Govt.
- EPC Tender documents for internal rail siding works is to be floated.
- The trunk infrastructure development planned to be implemented through PPP mode.

f) Krishnapatnam Node, Andhra Pradesh -

- Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 11,095 acre have been completed;
- Project was approved by GoI in December, 2020 for Phase 1 area of 2500 Acre;
- State Govt. has transferred 2139.15 Acre land to SPV and matching equity amounting to Rs. 533.86 crore has been released by NICDIT;
- SPV is under process of floating the EPC tender (3rd Call) for development of Trunk infrastructure.

g) Tumakuru Node, Karnataka

- Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 8,483 acre, have been completed;
- Project was approved by GoI in December, 2020 for Phase 1 activation area of 1736 Acre;
- State Govt. has transferred 1668.30 Acre land to SPV and matching equity amounting to Rs. 586.74 crore has been released by NICDIT;
- EPC Contractor has been appointed for trunk infrastructure works;
- Foundation Stone of the project was laid by Hon`ble PM on 06th Feb,2023.

h) Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh

- Projects approved by GoI in Dec, 2020;
- Out of total land area required for MMLH and MMTH of 479 Ha, 369 Ha is already under possession of GNIDA and ~83.2 Ha land parcels are being acquired by GNIDA through LARR Act. Further, ~23 Ha of land is to be acquired by DFCCIL/NCR under Railways Act. 20A Notification of 7.7533 Ha of land to be acquired under Railways Act published on 30.10.2021;
- 227.48 Ha land transferred to Project SPV and matching equity amounting to Rs. 853.05 crore has been released by NICDIT;
- For MMLH - Draft DPR for external Rail Siding connectivity has been prepared and has been shared with DFCCIL for concurrence and approval;
- For MMTH – Final Project report along with updated ESP submitted to North Central Railway (NCR) and other stakeholders for concurrence and approval.

2.2 Projects which are approved by the NICDIT and are under consideration by Government of India.

a) Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra

- State Govt. has confirmed availability of 2,450 Ha of land for development of DPIA under NICDIT framework;
- Detailed master planning and preliminary engineering works have been completed by the appointed Consultants;
- Project is to be implemented by the existing SPV in the State – Maharashtra Industrial Township Limited (MITL), erstwhile Aurangabad Industrial Township Limited (AITL).
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;
- Approval from CCEA is being sought.

b) Khurpia Farms, Uttarakhand

- State Govt. has confirmed the availability of 1002 Acre land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 8th June, 2022;
- Approval from CCEA is being sought.

c) Rajpura-Patiala, Punjab

- State Govt. has confirmed the availability of 1098 Acre land for the project.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 8th June, 2022;
- Approval from CCEA is being sought.

d) Palakkad node, Kerala

- Land area of 1,710.37 Acre has been identified by the State Govt;
- SHA/SSA has been executed and the project SPV has been incorporated for development of IMC at Palakkad;
- Detailed master planning and preliminary engineering works has been completed;
- Project proposal has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;
- Approval from CCEA is being sought;

e) **Marwar Industrial Cluster (MIC), Rajasthan**

- Consultant appointed for detailed master planning and preliminary engineering for an area of 6570 Acre for development in two phases;
- SHA/SSA for JPMIA has been executed between Govt. of Rajasthan and NICDIT. SPV has also been incorporated on 15th March, 2022;
- The State Govt has informed the revised project area to be 8121 Acre which is proposed to be developed in 03 phases;
- Phase A with an area of 1577 Acre is being developed for which master planning and preliminarily engineering activities have been completed;
- Project proposal for Phase A has been approved by the Board of Trustees of NICDIT on 14th Dec, 2022;
- Approval from Hon'ble Commerce and Industry Minister and Hon'ble Finance Minister, GoI is being sought.

f) **Zaheerabad Phase 1 (3,909 Acre) (Telangana, HNIC)**

- NICDIT has approved the proposal for development of Zaheerabad Industrial Area over an area of 3,909 acre in Telangana;
- Detailed Project Report and Master Planning has been undertaken by consultant appointed by the State Govt.
- Project has already been approved by NICDIT and approval of CCEA is being sought;
- Draft SHA/SSA is being negotiated with the State Govt.

2.3 Projects where Project Development Acticities are under process:-

a) **IMC at Agra (1,059 Acre) (Uttar Pradesh, AKIC)**

- State Govt. has confirmed the availability of 1059 Acre land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed and works are under progress;

b) **IMC Gaya (1,670 Acre) (Bihar, AKIC)**

- State Govt. has confirmed the availability of 1670 Acre land for the project;
- Land Acquisition process is underway by the State Govt;
- Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities.

c) **Hisar Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,605 Acre) (Haryana, AKIC)**

- State Govt. has confirmed the availability of 1605 Acre land as part of Phase1 for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed and works are under progress;
- State Govt. has been requested to expedite the land transfer for project and confirm delegation of Planning & Development Rights to SPV for finalization of SHA/SSA.

d) **Kopparthy Industrial Area (2,595 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC)**

- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering is underway by the appointed Consultants for an area admeasuring 2595 acre under NICDIT framework based upon the confirmation of the land by the State Govt.

e) **Vishakhapatnam Industrial Area (4,300 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC) to be taken up in 2 phases**

- Project Development activities (including master planning and Preliminary Engineering Design) is being undertaken by the State Govt on its own.
- Phase-I area of 1,120 Acre is being developed by GoAP on its own with funding support from ADB.
- Area of 3,196 Acre in Phase-II has been proposed by the State Govt. for development under NICDIT framework and project development activities are underway.

f) **Khushkhera Bhiwadi Neemrana Industrial Area (1,378 Acre) (Rajasthan, DMIC)**

- Consultant for detailed master planning and preliminary engineering for an area of 558 Ha has been appointed;
- SHA/SSA for KBNIR has been executed between Govt. of Rajasthan and NICDIT. SPV has also been incorporated on 15th March, 2022;
- Land acquisition in under progress by the State Government.

g) **Dharwad Node (6,042 Acre) (Karnataka, BMIC)**

- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed and works are under progress.
- Govt. of Karnataka has confirmed the 6,042 acre of land available for development of industrial node at Dharwad.
- Master Planning activities are underway.

h) **Satara Node (12,355 Acre) (Maharashtra, BMIC)**

- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed for Satara node (approx. 12,355 acre).
- Site earlier proposed by the State Govt. found to be unsuitable for development. State Govt. needs to suggest an alternate suitable land parcel for development.

i) **IMC Bokaro, (Jharkhand , AKIC)**

- State Govt. has informed that the earlier site at New Bahri is not available therefore an alternate site is being identified.
- State Govt. has requested Steel Ministry to make available land for IMC in Bokaro steel plant.
- The matter regarding availability and valuation of 740 acre of land is being taken up by Ministry of Steel, Bokaro Steel Plant, SAIL and Govt. of Jharkhand.

j) **IMC Prayagraj (1,140 Acre) (Uttar Pradesh, AKIC)**

- Consultant for carrying out detailed preliminary design report & marketing strategy for a brownfield site at Prayagraj (1,141 Acre) has been appointed and works are under progress

k) **Odisha Economic Corridor (OEC): 11,366 Acre**

- Odisha Economic Corridor is part of the northernmost stretch of the East Coast Industrial Corridor (ECIC). OEC has been envisaged in the State of Odisha, which links up with the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor (VCIC). The Concept Development Plan (CDP) of OEC as part of ECIC has been prepared by Asian Development Bank (ADB).
- State Govt. of Odisha has submitted the proposal for inclusion of OEC as part of overall mandate of NICDIT. Accordingly, the proposal with regard inclusion of Odisha Economic Corridor was placed for the consideration of NICDIT and the same was approved in the meeting held on 19th August 2020.
- Under OEC, two nodes i.e., Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar (GBK) and Paradip-Kendrapada-Dhamra-Subarnarekha (PKDS) over an area of 11,366 acre have been identified for development and project development activities have been initiated. Confirmation on the availability of land parcels for undertaking project development activities is awaited from the State Govt.

l) **Orvakal Industrial Area (4,742 Acre) (Andhra Pradesh, HBIC)**

- A proposal of the State Govt. of Andhra Pradesh with regard inclusion of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor was placed for the consideration of NICDIT and the same was approved in the meeting held on 19th August 2020.
- Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor will have an Influence Area spread across the states of Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka, connecting the central parts of the country with southern parts.
- Under HBIC, Orvakal node in Andhra has been identified for development in initial phase and project development activities are underway. Based on the proposal received from the State Govt, 4742 acre is being developed under NICDIT framework out of which 2621 Acre proposed to be developed as Phase I activation area

m) **Chittoor Industrial Area (8,967 Acre) (Andhra Pradesh, VCIC)**

- Based on the proposal received from the State Govt., Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering for 8,967 Acre;
- State Govt. to confirm the land parcels for undertaking project development activities.

n) **New Node(s) under Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)**

- The proposed Delhi Nagpur Industrial Corridor has been conceptualized on the existing NH 44 network and planned to achieve accelerated industrial development in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan.
- Consultant has been appointed for preparation of perspective plan of the overall DNIC region. Identification of new land parcels/nodes for development under DNIC is being undertaken in consultation with respective State Govt. departments.

3. Other Standalone Projects:-

3.1 Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited- DNSPCL) is a Special Purpose Company incorporated under the Companies Act, 2013 in March-2014 as a wholly owned subsidiary of NICDC Limited.
- The principal business of the company is to generate, develop and accumulate solar power and to transmit, distribute and supply such power and to carry on the business to promote, develop, undertake, engineer, construct, complete, establish, operate, maintain, augment, modernise and upgrade the Model Solar Plants, one of 5 MW capacity and other of 1MW capacity at Neemrana, Rajasthan.
- In accordance with the approval of CCEA, amount of Rs. 13 Crore was transferred to NICDC Neemrana Solar Power Limited (NNSPL) towards Equity Contribution of NICDC Limited on behalf of Trust (NICDIT)
- The Power Purchase Agreement (PPA) for the 05 MW Solar Power Project had been executed with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVNL) on 05th June, 2015.
- The 5 MW Solar Plant has been connected to the State Grid on 23rd July, 2015 and subsequently got commissioned on 3rd September, 2015. The commissioning certificate was issued by Rajasthan Renewable energy Corporation Limited (RRECL). The power is being supplied to the State Grid (i.e. 220kV RRVPNL GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs.8.77/kwh as per Power Purchase Agreement (PPA).
- The 1 MW model solar power project is conceived as the first Smart Micro-Grid Project in India, demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets.
- The MoU between NEDO, Japan, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Ministry of New & Renewable Energy was extended up to August 2019.
- Micro-grid Solar Power Supply project was commissioned on 10thJuly 2017 of a capacity of 1MW during the demonstration period for two years. The Off-grid Hybrid power was supplied to Mikuni India Private Limited and after successful completion of the demonstration period the PPA has been mutually foreclosed on 20.02.2020
- Another Power Purchase Agreement (PPA) between NICDC Neemrana Solar Power limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) and Toyada Gosei Minda India Pvt. Ltd. (TGMIPL) has been executed on 12th Feb 2020 for third party sale of 1MW solar power supply for a period of 10 years which may be extended for further period of 10 years as per mutual agreed terms & conditions of Rajasthan Solar Energy Policy, 2019.

- The 1MW Solar Power Plant has been set up for third party sales of 1MW solar power through open access as per Rajasthan Solar Energy Policy, 2019.
- The 1 MW Solar Power Plant has been connected to grid on 8th April 2021 and subsequently got synchronized & commissioned on 19th April, 2021.The solar power is being injected to State Grid (i.e., 33/11 kV JVVNL 2nd GSS Neemrana) and third-party sale of solar power through open access has commenced to TGMIPL from 1st June 2021 at the agreed tariff of Rs. 4.60 per unit including 50% share of Open access charges.

3.2 Logistic Data Bank Project:

- NICDC Logistics Data Services Limited (formerly DMICDC Logistics Data Services Limited) Logistics Data Bank (LDB) system is a single window logistics visualization solution

  i. which provides EXIM container movement tracking using only shipping container numbers;
  ii. from the ports to Inland Container Depot's/ Container Freight Stations;
  iii. and across the port associated parking plazas, toll plazas, railway stations, industrial corridors during the import and export journey.

- The project was launched, and services had started at all the terminals of JNPT Port from 1st July 2016.
- Currently, service is operational at PAN India level at all major and some minor ports and more than 56 million containers have been tagged/de-tagged till date.
- Services were also extended for movement across International Borders to Nepal and Bangladesh and 14 Special Economic Zones (SEZs) for better first and last mile visibility.
- LDB generates analytics reports every month for all EXIM stakeholders providing insights on performance benchmarks and bottlenecks.
- Currently, LDB covers:
  - 100% of India's EXIM container volume
  - 17 Ports (comprising 27 port terminals)
  - 342 CFSs, ICDs, Empty Yards and Parking Plazas (RFID Infrastructure)
  - 84 Toll Plazas (RFID Infrastructure)
  - 03 ICPs (RFID Infrastructure)
  - 14 SEZs (RFID Infrastructure)
  - 5800 railway stations (Freight Operations Information System).

3.3 Unified Logistics Interface Platform (ULIP):

- Hon'ble Prime Minister of India launched the Unified Logistics Interface Platform (ULIP) under the purview of National Logistics Policy (NLP) on 17th September 2022.
- ULIP is a digital gateway for enabling industry players to access logistics related datasets from various Govt. system through API based integration.
- The integration of ULIP with 32 systems of 07 different Ministries through 104+ APIs, covering 1600+ fields has been completed successfully.
- Over 5.7 crore transactions have been completed on the ULIP portal since January 2022.
- The ULIP portal (goulip.in) has witnessed 390 registrations from the private sector since its launch.
- Currently, 249 use cases of the 85 private players have been verified.
- Over 56 Non-Disclosure Agreements (NDA) have been signed with the private players for the development of the use cases.
- Over 60 meetings with industry associations have been completed till date.

4. PM GATI SHAKTI - NATIONAL MASTER PLAN (NMP)

- Government has approved PM GatiShakti National Master Plan for providing multimodal connectivity to economic zones. Hon'ble Prime Minister had launched PM GatiShakti National Master Plan on 13th October 2021.

- PM GatiShakti National Master Plan is a comprehensive plan that has been prepared depicting the economic zones and the infrastructure linkages required to support them with an objective to holistically integrate all the multimodal connectivity projects and remove missing gaps for seamless movement of people, goods & services. In the Plan, all the existing and proposed economic zones have been mapped along with the multimodal connectivity infrastructure in a single platform ranging in three time periods, i.e., status as on 2014-15, achievements made by 2020-21 and planned interventions up to 2024-25. Minimising disruptions, ensuring quick completion of works with cost efficiency, enhancing ease of living and ease of doing business are the guiding principles for development of infrastructure as per the PM GatiShakti NMP.

- PM GatiShakti provides a bird's eye view of infrastructure development with key layers based on completion timelines of various Economic Zones, Infrastructure & Utilities across the country. The PM Gatishakti NMP has been developed by BISAG-N (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics) and has been prepared in dynamic Geographic Information System (GIS) platform wherein data on specific action plan of all the Ministries/Departments have been incorporated within a comprehensive database. The system has been developed as a Digital Master Planning tool with Project Management tools, dynamic dashboards, MIS reports generation, compliance tools etc. to support all the Ministries in the implementation of the Master Plan.

- The data of all the individual Ministries has been integrated in one platform which is available for planning, review, and monitoring by the Network Planning Group. The Logistics Division, Ministry of Commerce and Industry has assisted all the stakeholders through BISAG-N and enabled creation of required layers in the system and update their database through Application Programming Interface (APIs). There are above 1450 data layers present at the portal from across Ministries and States departments.

- Aligning with the principles of PM GatiShakti national master plan, planning of various projects of industrial corridor was done, where the multimodal connectivity, infrastructure availability and gaps were assessed and recommendations were made. These proposals were then presented to National

Planning Group (NPG), where they have been evaluated for further economic and social development of nodes. Furthermore, the ongoing and upcoming projects of industrial corridor such as IMC's, Industrial nodes etc. have been mapped on PM GatiShakti national master plan portal. A technical team of NICDC participated in a hands-on training programme at BISAG-N, which focused on:

i. Overview of PM GatiShakti NMP Portal, its data strongholds and usefulness in master planning
ii. Access and analysis of data available in PM GatiShakti portal
iii. Hands on training on tools and various layers available in the portal
iv. Rectification of existing NICDP project layers and additions

- A detailed overview of PM GatiShakti NMP Portal interface was provided by technical team of BISAG -N, followed by handling of various tools inside the portal for various data selection process, buffers & Navigation.

- The data and tools of portal is being utilized in the planning and projects development in ongoing and upcoming industrial corridors projects with respect to integration with other Ministries projects to enhance multimodal connectivity and ensure last mile connectivity of goods, services, and people.

5. Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank (ABD) for Industrial Corridor Development Programme

- In March 2020, the Screening Committee of Department of Economic Affairs (DEA) approved the loan assistance in the form of a Policy Based Loan (PBL) of USD 500 million for Industrial Corridor Development Programme. The objective of the proposed loan program is to support DPIIT/NICDC/NICDIT in development of industrial corridors to increase India's competitiveness as a global manufacturing hub through policy reforms.

- The PBL was structured under the programmatic approach with two subprograms/tranches of $250 million each. The Executing Agency (EA) of the program is Ministry of Commerce and Industry acting through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Implementation Agency (IA) is NICDIT supported by NICDC.

- The loan is taken by Govt. of India (GoI) through Ministry of Finance (MoF) and its servicing and repayment obligation will also be of GoI. Release of funds will continue to flow to NICDIT through DPIIT in the form of Grant-in-Aid as part of overall approved corpus of funds for Industrial Corridor Development Program for onward release to project SPVs as Equity and/or Debt in accordance with the Institutional and Financial Structure approved by GoI.

- Sub-program 1 consisted ten (10) policy actions with an objective to strengthen the institutional structures and mechanism for integrated development, innovative financing solutions and investment promotion in industrial corridors. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in October 2021, ADB approved the first sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India. Subsequently, in January 2022, the loan was made effective and was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India.

- Together with the sub-program 1, ADB also approved the provision of a Technical Assistance (TA) of USD 1 million for knowledge services for Industrial Corridor Development Programme to the Govt. of India to be provided as a grant which is not required to be repaid and to be implemented over 38-months period commencing from November, 2021.

- ADB fielded an Inception Mission from 18-26 July, 2022 for subprogram-2. The purpose was to discuss the progress of implementation of subprogram 1 policy actions and to discuss on indicative policy matrix of subprogram 2. The mission conducted field visits to IC nodes (Shendra-Bidkin, Dholera and Greater Noida) in July, 2022 as part of Inception Mission and held consultations with DPIIT, NICDC and SPVs.

- For sub-program 2 (USD 250 million), 10 policy actions have been listed in the policy matrix with a time frame of February 2022 - December 2023 against the original time frame February 2022 to December 2025. A team of consultants have been mobilized by ADB to provide knowledge support for subprogram 2 policy action points. Kick off meeting with the consultants was held in September, 2022. The list of Nodal Officers has already been provided to ADB. The Policy action points are under discussions with ADB before finalization. In the meeting held with ADB on 28.02.2023 and 15.03.2023, these action points alongwith suggested modifications were discussed. ADB will come out with a new list of the action points.The TA will support the delivery of some of the policy actions under sub-program 2 for which the action has already been initiated by ADB. The sub-program 2 of USD 250 million is expected to be disbursed under a single tranche in the Calender Year 2023.

6. FINANCIAL RESULTS SUMMARY

During the Financial Year 2022-23, a sum of Rs. 108.67 crore and Rs. 0.02 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively and the same were utilized.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in Crore)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Corpus / Capital Fund	9176.05	9039.13
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	8705.83	8684.17
Current Assets	470.31	355.03
Earmarked Funds	Nil	Nil
Current Liabilities	0.09	0.07
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	29.78	30.10
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	28.25	16.36

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a further period of 5 years from the year 2022-23 to 2026-27 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit for the financial year 2021-22.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2022-23. NICDC Limited, being the Knowledge Partner provides all services and support to NICDIT.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, NICDC Limited shall act as Chief Executive Officer (CEO) of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, her gratitude to all Trustees for their continued guidance, support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(Sumita Dawra)
CEO & Member Secretary

Place : New Delhi
Date : 15th May, 2023

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः रिपोर्ट/4(2)/विविध/वार्षिकलेखे/
एन.आई.सी.डी.आई.टी./2023-24 272
दिनाँकः 20/09/2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य भवन,
नई दिल्ली- 110011

विषय: वर्ष **2022-23** के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी) के अंकेक्षित वार्षिक लेखों की प्रति तथा उन पर प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनो सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Council) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरी

(एस.अहलादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य), नई दिल्ली

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

पत्रांक: रिपोर्ट/4(2)/विविध/वार्षिक लेखे/एन.आई.सी.डी.आई.टी./2023-24/372 दिनांक: 20/09/2023

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एन.आई.सी.डी.सी.लिमिटेड, एन.आई.सी.डी.आई.टी के लिये, उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 8th फ्लोर, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 कनाट पैलेस, नई दिल्ली-110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

एस. ए. पंडा

(एस.अह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य), नई दिल्ली

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2023

We have audited the attached Balance sheet of **National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)** for the year ended 31 March 2023 and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No 1(17)-B(R&C)/2022 dated 31st August 2022. The preparation of these financial statements is the responsibility of the Management of the Trust. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by NICDIT as required under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Comments on accounts

A. Grants in Aid:

As certified by NICDIT, it had an unspent balance of ₹16.46 crore towards Project Implementation Fund (PIF) and Project Development Fund (PDF) Schemes as on 01 April 2022. NICDIT received a grant of ₹108.69 crore during the year 2022-23. Out of the total grant amount, NICDIT utilised an amount of ₹123.20 crore. Further, it received an Income Tax refund of ₹1.78 crore and earned interest and dividend of ₹0.67 crore during the year 2022-23. The closing balance as on 31 March 2023 was ₹4.40 crore.

B. Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Account, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure** to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) as on 31 March 2023; and

b. In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the surplus for the year ended on that date.

For on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Principal Director of Audit
Industry & Corporate Affairs

Place: New Delhi
Dated: 20 SEP 2023

Annexure to Draft Separate Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   An adequate Internal Audit system exists in the Trust.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   An adequate Internal Control system exists in the Trust.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   NICDIT does not have any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   NICDIT does not have any inventory.

5. **Regularity in Payment of Statutory Dues**

   NICDIT was regularly depositing all the statutory dues.

R. Gowtha

Director (AMG-III)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2023

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2022-23	2021-22
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	91,76,04,91,269	90,39,13,06,911
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	8,64,521	6,89,329
Total		**91,76,13,55,790**	**90,39,19,96,240**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	87,05,83,01,831	86,84,16,84,431
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	4,70,30,53,959	3,55,03,11,809
Total		**91,76,13,55,790**	**90,39,19,96,240**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Sumita Dawra)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 15.05.2023

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2023

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2022-23	2021-22
INCOME			
Interest Earned	5	29,59,43,855	29,89,28,951
Other Income	6	18,73,610	20,82,460
Total (A)		**29,78,17,465**	**30,10,11,411**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	1,53,06,307	13,74,39,110
Total (B)		**1,53,06,307**	**13,74,39,110**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		28,25,11,158	16,35,72,301
Transfer to Additional Corpus		6,70,999	6,05,059
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**28,18,40,159**	**16,29,67,242**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Sumita Dawra)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 15.05.2023

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS
for the year ended 31st March 2023

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2022-23	2021-22	PAYMENTS	2022-23	2021-22
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	1,51,29,823	13,72,59,596
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	81,079	34,03,604	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	16,44,78,317	3,67,75,99,846	a) Out of Main Corpus		
			-Release of loan to:		
II. Grants Received			i) NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited	1,00,00,00,000	
a) From Government of India for Main Corpus	1,08,66,73,200	8,09,00,00,000	b) Out of Additional Corpus		
b) From Government of India for Additional Corpus			-Release of Grant-in-aid to NICDC:		
-Project Development Activities	1,00,000	50,00,00,000	-For carrying out Project Development Activities	1,00,000	50,00,00,000
-Swatchta Action Plan	1,00,000	10,00,000	-For Swatchta Action Plan	1,00,000	10,00,000
			III. Investments and deposits made		
III.Income on Investments from			a) Out of Main Corpus	21,66,17,400	11,57,32,06,890
a) Main Corpus	-	-	b) Out of Additional Corpus	-	-
b) Additional Corpus	-	-			
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress	-	-
IV. Interest Received					
a) On Bank Deposits (net of TDS)	47,07,447	72,54,516			
b) On Saving Accounts	85,937	6,91,27,166	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
			VI. Finance Charges (Interest)	-	-
V. Other Income (Refer to Schedule 6)					
a) Main Corpus	18,67,683	20,47,208			
b) Additional Corpus	5,927	252	**VII. Other Payments**	-	-
VI. Amount Borrowed	-	-	**VIII. Closing Balances**		
			a) Cash in Hand	-	-
VII.Any Other Receipts			b) Bank Balances		
a) Income Tax Refund	1,78,43,920	2,55,93,290	i) In Saving Accounts	76,485	81,079
b) Reimbursement of expenses from NICDC Ltd.	-	-	ii) In Deposit Accounts	4,39,19,802	16,44,78,317
c) Transfer of Equity	-	-			
Total	**1,27,59,43,510**	**12,37,60,25,882**	**Total**	**1,27,59,43,510**	**12,37,60,25,882**

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Sumita Dawra)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 15.05.2023

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2023

(Amount - ₹)

Particulars		2022-23	2021-22
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		90,37,85,96,889	82,12,56,29,647
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		1,08,66,73,200	8,09,00,00,000
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		28,18,40,159	16,29,67,242
Balance as at the year end (A)		**91,74,71,10,248**	**90,37,85,96,889**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR NICDC LIMITED (Formerly Known as DMICDC LIMITED)			
Balance at the beginning of the year		4,72,94,25,787	4,22,84,25,787
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds			
-For carrying out Project Development Activities		1,00,000	50,00,00,000
-For Swatchta Action Plan		1,00,000	10,00,000
	(a)	4,72,96,25,787	4,72,94,25,787
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- Upto Previous Year		38,40,11,235	38,34,06,176
- During the Current Year		6,70,999	6,05,059
	(b)	38,46,82,234	38,40,11,235
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to NICDC Ltd. (Formerly Known as DMICDC Ltd.)			
- Upto Previous Year		5,10,07,27,000	4,59,97,27,000
- During the Current Year		2,00,000	50,10,00,000
	(c)	5,10,09,27,000	5,10,07,27,000
Balance as at the year end (B)=[(a) + (b) - (c)]		**1,33,81,021**	**1,27,10,022**
Grand Total (A + B)		**91,76,04,91,269**	**90,39,13,06,911**

(This space has been intentionally left blank)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2023

(Amount - ₹)

Particulars		2022-23	2021-22
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		1,14,282	1,09,090
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		9,500	9,500
	(A)	1,23,782	1,18,590
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,70,000
- Previous Years		5,70,739	4,00,739
	(B)	7,40,739	5,70,739
Total (A + B)		**8,64,521**	**6,89,329**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
Investment in Equity Shares (Refer to Note No. 4.0 of Schedule 9)			
- DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.		55,93,00,000	55,93,00,000
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.		14,70,25,26,880	14,70,25,26,880
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)		30,00,00,00,000	30,00,00,00,000
- Dholera Industrial City Development Ltd.		27,84,83,00,001	27,84,83,00,001
- NICDC Logistics Data Services Ltd.		4,01,98,000	4,01,98,000
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.		2,08,05,41,750	2,08,05,41,750
- Dholera International Airport Co. Ltd.		24,24,00,000	24,24,00,000
- CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		5,86,73,86,600	5,86,73,86,600
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.		5,33,86,48,600	5,22,10,31,200
- CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
- The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000
- Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Ltd.		4,90,00,000	-
- NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Ltd.		2,50,00,000	-
- NICDC Uttarakhand Industrial township Ltd.		2,50,00,000	-
(b) Others			
- Release of Funds to NICDC Limited (Formerly Known as DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of NICDC Neemrana Solar Power Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**87,05,83,01,831**	**86,84,16,84,431**

(This space has been intentionally left blank)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2023

(Amount - ₹)

Particulars		2022-23	2021-22
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		3,10,44,221	15,21,63,575
- Additional Corpus		1,28,75,581	1,23,14,742
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		25,054	26,134
- Additional Corpus		51,431	54,945
	(A)	**4,39,96,287**	**16,45,59,396**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances (considered good and recoverable) to:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited		2,60,54,00,000	2,60,54,00,000
- NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited		1,00,00,00,000	-
2. Interest Accrued and due on Deposits with Bank:			
-Main Corpus		73,854	13,21,131
-Additional Corpus		3,47,342	3,06,003
3. Interest Accrued but not due on Loans and Advances from:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited*		93,69,80,225	73,76,67,125
- NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited**		6,37,15,069	-
4. Others:			
-Tax Deducted at Source			
i. Main Corpus		5,24,09,533	4,09,35,099
ii. Additional Corpus		1,26,528	1,16,642
-Prepaid Expenses		5,121	6,168
-Advance for Services (Stock Holding Corporation of India Limited)		-	245
	(B)	**4,65,90,57,672**	**3,38,57,52,413**
Total (A + B)		**4,70,30,53,959**	**3,55,03,11,809**

* As per Clause 5.1 of the loan agreement executed with DMIC Vikram Udyogpuri Limited, interest accrued on loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from project commencement date of 07th July 2015.

** As per Clause 5.1 of the loan agreement executed with NICDC Haryana Multi Logistics Hub Project Limited, interest accrued on loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from the Date of First Disbursement i.e 01st June 2022.

(This space has been intentionally left blank)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE

for the year ended 31st March 2023

(Amount - ₹)

Particulars	2022-23	2021-22
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	29,40,514	77,39,452
[TDS for Current Year - ₹ 3.27,057/-]		
(Previous Year - ₹ 711,224/-)		
(b) Additional Corpus	6,63,883	6,03,332
[TDS for Current Year - ₹ 66,337/-]		
(Previous Year - ₹ 60,191/-)		
2. On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	84,748	6,91,25,692
(b) Additional Corpus	1,189	1,475
3. On Loans:	29,22,53,521	22,14,59,000
[TDS for Current Year - ₹ 2,92,25,352/-]		
(Previous Year - ₹ 2,21,45,900/-)		
Total	**29,59,43,855**	**29,89,28,951**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
1. Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	18,67,683	20,47,208
(b) Additional Corpus	5,927	252
2. Provision Written Back	-	35,000
Total	**18,73,610**	**20,82,460**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Service Fees	1,21,66,174	11,57,32,070
b) Tax Expense on Service Fee *	21,89,912	2,08,31,774
c) Auditors Remuneration		-
- Current Year	1,70,000	1,70,000
- Previous Years	-	-
d) Professional and Consultancy Fees	1,18,590	1,25,080
e) Share Dematerialsation Expenses	6,55,010	5,45,993
f) Others		
- Misc. Expenses	6,621	34,193
Total	**1,53,06,307**	**13,74,39,110**

* In Compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), a clarification was given by the Board of Trustees in its 8th meeting held on 21st September 2021 that the Service Fee paid to NICDC Limited @1% subject to the maximum limit of Rs.20 Crore in a year of the funds released by NICDIT to various Project/Node SPVs as Equity/Debt is excluding the applicable taxes. Accordingly, the Service Fee paid to NICDC Limited and GST @18% on Service Fee have been shown separately.

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Format of Preparation of Accounts

The financial Statements have been prepared in accordance with the 'Uniform Format of Accounts' as prescribed for Central Autonomous Bodies based on the Report of the Committee of Experts, November 2020

2.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

3.0 Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

4.0 Fixed Assets

4.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

4.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

4.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

4.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

5.0 Government Grant

5.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid to carry out project development activities and for activities under 'Swatchta Action Plan' and are shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

5.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

6.0 Revenue Recognition

6.1 Income is recognised on accrual basis.

6.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads.

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

7.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

8.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% plus applicable taxes (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore plus applicable taxes in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

9.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currencies are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

10.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016-IC dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore (approved by Board of Trustees of NICDIT in its 4th meeting held on 30th August 2019) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) as part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

Further, Government of India in its meeting held on 30th December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridors, under the Industrial Corridor Programme, within the overall framework of PM Gati Shakti National Master Plan for providing multi modal connectivity infrastructure to various Ecnomic Zones. Out of these 11 Industrial Corridor projects , 5 were approved earlier by GoI.

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022 which has been further extended upto March 2027 as per the approval given by Government of India in its meeting held on 30th December 2020.

During the year, a sum of ₹ 108.67 crore (Previous Year ₹ 809 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 0.02 crore (Previous Year ₹ 50.10 crore) towards the Additional Corpus.

Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

The amount received against additional corpus released to NICDC for meeting the expenditure against Project Development Activities is considered as Utilized for NICDIT.

However, a sum of ₹ 11,34,48,346/- (Previous Year- ₹ 28,61,57,080/-) is lying in the books of accounts of NICDC Limited as on 31st March,2023 out of the cummulative funds released by NICDIT and interest earned thereon.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) towards 100% equity investment of Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Limited (Formerly knwon as DMICDC Limited). The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the Financial Year 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.The corresponding disclosure has been made under the head "Investment".

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Investment in Equity Shares as on 31.03.2023

Name of SPVs	Investment as on 31st March 2023	No of Shares held	Face Value	% of Holding of NICDIT	No of Shares Held by Trustees		
					Shri Anurag Jain	Shri T.V Somnathan	Smt. Sumita Dawra
DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
Maharashtra Industrial Township Ltd. (Earlier known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
Dholera Industrial City Development Ltd.	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996
NICDC Logistics Data Services Ltd.	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
NICDC Haryana Global City Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
DMIC Haryana MRTS Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173
Dholera International Airport Co. Ltd.	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.	5,33,86,48,600	53,38,64,860	10	50%	1	1	53,38,64,858
CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Ltd.	4,90,00,000	49,00,000	10	49%	1	1	48,99,998
NICDC Punjab Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
NICDC Uttarakhand Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
Total	**86,92,83,01,831**	**8,64,24,93,183**			**18**	**18**	**8,64,24,93,147**

Investment in Equity Shares as on 31.03.2022

Name of SPVs	Investment as on 31st March 2022	No of Shares	Face Value	% of Holding of NICDIT	No of Shares Held by Trustees		
					Shri Anurag Jain	Shri T.V Somnathan	Shri Amrit Lal Meena
DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.	55,93,00,000	55,93,000	100	50%	1	1	55,92,998
DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd.	14,70,25,26,880	1,47,02,52,688	10	50%	1	1	1,47,02,52,686
Maharashtra Industrial Township Ltd. (Earlier known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)	30,00,00,00,000	3,00,00,00,000	10	49%	3	3	2,99,99,99,994
Dholera Industrial City Development Ltd.	27,84,83,00,001	2,78,48,30,000	10	49%	2	2	2,78,48,29,996
NICDC Logistics Data Services Ltd.	4,01,98,000	40,19,800	10	50%	1	1	40,19,798
NICDC Haryana Global City Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
DMIC Haryana MRTS Project Ltd.	5,00,00,000	50,00,000	10	50%	1	1	49,99,998
NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Ltd.	2,08,05,41,750	20,80,54,175	10	50%	1	1	20,80,54,173
Dholera International Airport Co. Ltd.	24,24,00,000	2,42,40,000	10	16%	-	-	2,42,40,000
CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.	5,86,73,86,600	58,67,38,660	10	50%	1	1	58,67,38,658
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Ltd.	5,22,10,31,200	52,21,03,120	10	50%	1	1	52,21,03,118
CBIC Ponneri Industrial Township Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
The Kerala Industrial Corridor Development Corporation Ltd.	2,50,00,000	25,00,000	10	50%	1	1	24,99,998
Total	**86,71,16,84,431**	**8,62,08,31,443**			**15**	**15**	**8,62,08,31,413**

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

5.0 Employee Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employee's benefit including retirement benefit is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

8.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

9.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

In accordance with the recent ammendments in the provisions of Income Tax Act, 1961, the Trust has re-registered itself under section 12A of the Income Tax Act,1961. The Principal Commissioner of Income Tax vide order dated 28th May,2021 has granted provisional registration under sub clause (i) of clause (ac) of sub-section(1) of Section 12A of the Income Tax Act,1961 for the period of five years starting from AY 2022-23 upto AY 2026-27.

Besides, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, an amount of ₹ 23,81,33,748/-(Previous Year - ₹ 11,84,20,589/-) will be set apart before two months prior to the due date of filing of return, out of the income of the Trust , which is to be utilised within 5 years i.e., upto 31.03.2028 for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

The amount set apart upto the financial year 2021-22 has already been utilised for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

		Amount (₹) 2022-23	Amount (₹) 2021-22
10.0	**Foreign Currency Transactions**		
	10.1 Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
	10.2 Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
11.0	**Remuneration to Auditors**		
	11.1 Audit Fees		
	- For Current Year	1,70,000	1,70,000
	- For earlier Financial Years	-	-
	11.2 For Taxation Matters	-	-
	11.3 For Other Services	-	-

(This space has been intentionally left blank)

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

12.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC)(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC)), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs wherever the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)./Nodal Agency(ies) provides for recovery and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of NICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of NICDC Limited.

13.0 Out of the total allocated funds of ₹ 1500 crore for F.Y 2022-23, a sum of ₹108.69 crore only could be received and utilized.The balance amount not received relates to 5 project proposals which are under consideration and approval of Govt. of India.

14.0 Statement of Receipts and Payments

The Statement of Receipts and Payments is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year.

15.0 Impact of COVID-19 on the operations of the Trust

The Trust on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Trust are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

16.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

17.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2023 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(Sumita Dawra)
CEO & Member Secretary

(Rajesh Kumar Singh)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 15.05.2023